

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 अगस्त 2021—भाद्र 5, शक 1943

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2021

एफ-14-82-1988-दस-2.—वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 28 के साथ पठित धारा 64 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 34 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“34. धारा 28 के अधीन राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में, तथा धारा 64 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के अधीन टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों एवं वन विभाग द्वारा प्रबंधित चिड़ियाघरों में प्रवेश के लिए प्रवेश शुल्क और प्रवेश अनुज्ञा की शर्तें,—

1. प्रवेश अनुज्ञा-पत्र.—(1) कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों अथवा चिड़ियाघरों में, धारा 28 की उपधारा (1) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए एवं इन नियमों में यथा विहित के अनुसार ऐसे शुल्क

के भुगतान पर, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक मध्यप्रदेश या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए विधिमान्य प्रवेश अनुज्ञा-पत्र के बिना, प्रवेश नहीं करेगा।

(2) प्रवेश अनुज्ञा-पत्र वैयक्तिक, अहस्तांतरणीय तथा प्रवेश अनुज्ञा-पत्र में वर्णित कालावधि के लिए प्रवेश हेतु विधिमान्य होगा।

2. विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत आधीन प्रवेश शुल्क में छूट.—(1) राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों और चिड़ियाघरों में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, अर्थात्:—

(क) वन्य जीवों का अध्ययन या अन्वेषण और उसके आनुषंगिक उद्देश्य;

(ख) वैज्ञानिक अनुसंधान;

(ग) राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य में निवास कर रहे किसी व्यक्ति के साथ विधिपूर्ण कारोबार का संव्यवहार;

(घ) टाइगर रिजर्व के बफर जोन में और राष्ट्रीय उद्यानों (वन विहार के अतिरिक्त) एवं अभयारण्यों की 5 किलोमीटर की सीमाओं के भीतर स्थित ग्रामों के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के छात्रों की प्राधिकृत अध्ययन यात्राएं अथवा ईको विकास समितियों के सदस्यों की प्राधिकृत अध्ययन यात्राएं;

(ङ) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार या विभिन्न राज्यों के वन विभागों के प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों के छात्रों, प्रशिक्षुओं, अनुदेशकों और सहायक कर्मचारिवृंद की प्राधिकृत अध्ययन यात्राएं;

(च) अनुभूति कार्यक्रम एवं मोगली उत्सव के प्रतिभागियों को कार्यक्रम के दौरान वन्यप्राणी सप्ताह में पुरस्कृत प्रतिभागियों को एक बार पुरस्कार के रूप में;

(छ) 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों का प्रवेश।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (घ) के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं को नियमित प्रवेश शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी यदि ऐसी प्राधिकृत अध्ययन यात्राओं की पूर्व अनुमति ले ली गई हो। यह सुविधा किसी संस्थान में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पूरे पर्यटन वर्ष, अर्थात् 1 जुलाई से 30 जून तक, के दौरान खुली अवधि में केवल एक बार एक भ्रमण हेतु दी जाएगी।

(3) विशेष परिस्थितियों में मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश अथवा संरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र या चिड़ियाघर के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति अथवा समूह को अधिकतम धारण क्षमता की सीमाओं के भीतर प्रवेश शुल्क से पूर्णतः छूट दी जा सकेगी।

(4) उपनियम (1) के खण्ड (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित प्रयोजनों के लिए प्रवेश अनुज्ञा पत्र की पात्रता एवं शर्तें, एक विशिष्ट संरक्षित क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा पृथक से अभिनिश्चित की जाएगी।

3. पर्यटन प्रयोजनों हेतु क्षेत्रों का वर्गीकरण एवं प्रवेश शुल्क:—

(1) वन्यप्राणी पर्यटन क्षेत्रों की वर्गीकृत सारणी

अनु. क्र.	वर्ग	सम्मिलित संरक्षित क्षेत्रों का विवरण	वर्ग गुणांक/ सारणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वर्ग-1	कोर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित अभयारण्यों को समाविष्ट करते हुए टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में पूर्ण रूप से विस्तारित पर्यटन जोन एवं ऐसे पर्यटन जोन जो अंशतः कोर एवं बफर दोनों क्षेत्रों में विस्तारित हों।	1.6
2	वर्ग-2	टाइगर रिजर्वों के बफर क्षेत्र में पूर्ण रूप से विस्तारित पर्यटन जोन	0.8
3	वर्ग-3	माधव राष्ट्रीय उद्यान; गांधीसागर, नौरादेही, रातापानी, कूनो पालपुर एवं खिवनी अभयारण्य फेन अभयारण्य।	0.5
4	वर्ग-4	(क) फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, घुघवा एवं डायनासोर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, धार (ख) सैलाना, सरदारपुर, घाटीगांव, करेरा, केन घड़ियाल, सोन घड़ियाल, राष्ट्रीय चंबल, नरसिंहगढ़, बगदरा, वीरांगना दुर्गावती, सिंधोरी एवं ओरछा अभयारण्य। (ग) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त किसी भी वर्ग के भीतर पर्यटन हेतु निर्दिष्ट समस्त विशिष्ट स्थल एवं व्यू पॉइंट्स.*	0.2

(1)	(2)	(3)	(4)
5	वर्ग-5	प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त किसी भी वर्ग के भीतर पर्यटन प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट विशिष्ट स्थलों एवं व्यू पॉइंट्स में से कोई एक स्थल.	0.1
6	वर्ग-6	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, रालामण्डल अभयारण्य एवं मुकुन्दपुर चिड़ियाघर	सारणी 3(4)

- (क) किसी संरक्षित क्षेत्र या टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र या चिड़ियाघर में प्रवेश शुल्क हेतु दरें उपरोक्त सारणी में वर्णित वर्ग गुणांक के साथ उपनियम 2 की सारणी (क) एवं (ख) में वर्णित दरों से गुणा कर प्राप्त की जाएंगी. यह गुणनफल रुपये 5/- (रुपए 100/- तक की रकम के लिए) या रुपए 10/- रुपये (100/- के बराबर या अधिक की रकम के लिए) के अगले गुणा से पूर्णांकित होगी या वास्तविक प्रवेश शुल्क लिया जाएगा.
- (ख) *ये दरें एक भ्रमण हेतु हैं एवं अनुज्ञा-पत्र एक दिवस हेतु विधिमान्य रहेगा. पचमढ़ी में समस्त विनिर्दिष्ट स्थलों एवं व्यू पॉइंट्स के भ्रमण के लिये पर्यटक 3 दिवसीय विधिमान्य वाले विशेष अनुज्ञा-पत्र दुगनी दर से भुगतान कर प्राप्त किये जा सकेंगे.

(2) वाहन आधारित पर्यटन हेतु प्रवेश शुल्क.—

(क) प्रबंधन के साथ पंजीकृत पर्यटक वाहनों के लिये प्रवेश शुल्क.—

क्र.	अनुज्ञा-पत्र का प्रकार	दरें (राशि रु. में)
(1)	(2)	(3)
1	एकल सीट अनुज्ञा-पत्र (हल्के वाहन एवं मिनी बस)	रु. 250
2	संपूर्ण वाहन अनुज्ञा-पत्र (केवल हल्के वाहन, अधिकतम 6 पर्यटक)	रु. 1500

(ख) निजी अपंजीकृत वाहन से पर्यटन हेतु प्रवेश शुल्क, जहां प्रबंधन द्वारा ऐसे वाहन अनुज्ञत हैं.

अ. क्र.	वाहनों की श्रेणी के आधार पर अनुज्ञा-पत्र का प्रकार	दरें (राशि रु. में)
(1)	(2)	(3)
1	दोपहिया वाहन (स्कूटर, मोटर साइकिल एवं अन्य दो पहिया मोटर वाहन अधिकतम 2 व्यक्ति)	रु. 500
2	ऑटो रिक्शा (अधिकतम 3 व्यक्ति)	रु. 1000
3	हल्के मोटर वाहन (अधिकतम 6 व्यक्ति)	रु. 1500
4	बस/मिनी बस	रु. 3000

- (ग) उपरोक्त (क) में वर्णित शुल्क मात्र प्रवेश अनुज्ञा-पत्र हेतु हैं. पंजीकृत पर्यटक वाहन हेतु वाहन प्रभार भ्रमण के पूर्व वाहन मालिक को पृथकतः से देय होगा. उपरोक्त (क) एवं (ख) में गाइड शुल्क भी सम्मिलित नहीं है जो गाइड को पृथकतः देय है.
- (घ) उपरोक्त (क) में वर्णित एकल सीट अनुज्ञा हेतु पर्यटन वाहन प्रभार तथा गाइड शुल्क वाहन में उपस्थित कुल पर्यटकों के मध्य समान रूप से विभाजित की जाएगी तथा प्रवेश के समय देय होगी.
- (ङ) वाहन में अनुज्ञात व्यक्तियों की संख्या में चालक और गाइड की गणना सम्मिलित नहीं की जाएगी.
- (च) संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी यह निर्धारण करेंगे कि पर्यटकों की सुरक्षा तथा पर्यटन मार्गों की स्थानीय परिस्थितियों आदि के आधार पर ऐसे वाहन के वर्ग/प्रकार का विनिश्चय करेगा जिसे पर्यटन प्रयोजन हेतु संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा.
- (छ) पर्याप्त संख्या में पंजीकृत वाहनों की अनुपलब्धता की दशा में या अन्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर स्थानीय प्रबंधन द्वारा आदेश जारी कर अपंजीकृत वाहनों को प्रवेश हेतु अनुमति जारी की जा सकेंगी. ऑन लाईन बुक किये गये अनुज्ञा-पत्रों में प्रवेश शुल्क के अंतर की राशि पार्क में प्रवेश के समय पर्यटकों द्वारा देय होगी.
- (ज) धारा-3 की उपधारा (2) की सारणी (क) में वर्णित एकल सीट अनुज्ञा हेतु प्रवेश दरों में 5 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों हेतु आधा शुल्क देय होगा एवं उन्हें वाहन में एक सीट उपलब्ध कराई जायेगी. पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे निःशुल्क प्रवेश के हकदार होंगे एवं अपने अभिभावकों के साथ बैठेंगे.
- (झ) यदि किसी पर्यटक के पास वर्ग-1, वर्ग-2, वर्ग-3, वर्ग-4(ख) के अनुसार प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् वाहन द्वारा किसी पर्यटन जोन में संपूर्ण सफारी राइड हेतु अनुज्ञा-पत्र हो, तो वह उस पर्यटन जोन

के भीतर स्थित किसी विशिष्ट स्थल/व्यू पॉइंट में बिना कोई अतिरिक्त शुल्क जा सकेगा. यदि कोई पर्यटक, संरक्षित क्षेत्र के भीतर स्थित केवल अधिसूचित विशिष्ट स्थल/व्यू पॉइंट मात्र का भ्रमण करना चाहता है तो उसे उपरोक्त सारणियों में वर्ग-4(ग)/वर्ग-5 के अनुसार शुल्क देय होगी. इस प्रकार से केवल विशिष्ट स्थल/व्यू पॉइंट का अनुज्ञा-पत्र लेने वाले पर्यटक प्रबंधन के द्वारा विनिश्चित मार्ग एवं समय पर भ्रमण कर सकेंगे.

- (ज) संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा परिचालित होटल/रिसॉर्ट/लॉज से अनुरोध प्राप्त होने पर, होटल/रिसॉर्ट/लॉज हेतु सीमित संख्या में, एक वर्ष के लिये वैध, प्रति नेचुरलिस्ट रु. 10,000/- के पंजीकरण शुल्क से नेचुरलिस्टों का पंजीकरण करेगा तथा एक परिचय-पत्र जारी करेगा.
- (ट) अनुज्ञापत्र धारी पर्यटकों के साथ पंजीकृत पर्यटक वाहनों में स्थान उपलब्ध होने पर उक्त नेचुरलिस्ट, अनुज्ञा-पत्र में नाम दर्ज न होने पर भी, पर्यटकों के वाहन में सहयोगी के रूप में जा सकेंगे. ऐसे वाहनों में पार्क गाइड भी पूर्ववत् की भांति उपस्थित रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे. "पंजीकृत नेचुरलिस्ट को प्रदेश के अन्य संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के साथ (बिना वाहन चालान के) भ्रमण हेतु प्रवेश की अनुमति होगी."

(3) वाहन द्वारा पार्क भ्रमण के भिन्न अन्य गतिविधियों हेतु प्रवेश शुल्क (राशि रु. में)

(क) शुल्क सारणी

क्र. (1)	प्रवेश का प्रयोजन (2)	प्रति पर्यटक दर (3)
1	पैदल/ट्रैकिंग/साइकलिंग (संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किए गए विनिर्दिष्ट मार्गों पर)	रु. 150
2	विनिर्दिष्ट हाइड (hide) मचान/वाँच टॉवर से वन्य प्राणी दर्शन संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किये गये स्थल में.	स्थानीय प्रबंधन द्वारा नियत किया जाएगा.
3	कैंपिंग (केवल संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किए गए परिसरों में)	रु. 750

(ख) मोटर चलित नाव/पोत द्वारा जल सफारी के लिए प्रवेश शुल्क

अनुक्रमांक (1)	अनुज्ञा का प्रकार (2)	दर (राशि रु. में) (3)
1	पूरे दिन के लिए एकल सीट अनुज्ञा-पत्र (मोटर चलित नाव/पोत)	500/-
2	सुबह या शाम के भ्रमण के लिए एकल सीट अनुज्ञा (मोटर चलित नाव/पोत)	250/-

i उपरोक्त तालिका में उल्लेखित शुल्क केवल प्रवेश अनुज्ञा-पत्र के लिए है. पर्यटकों के लिए पंजीकृत मोटर चलित नाव/पोत के लिए मोटर चलित नाव/पोत शुल्क, यात्रा से पहले, मोटर चलित नाव/पोत के मालिक/संचालक को अलग से देय है.

गाइड शुल्क भी उपरोक्त तालिका (बी) में शामिल नहीं है, जो अधिकृत गाइड के लिए पृथक् से देय है.

ii पर्यटन जल मार्गों की स्थानीय स्थितियों के अनुसार और पर्यटकों की सुरक्षा आदि को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी मोटर चलित नाव/पोत का वर्ग/प्रकार का निर्धारण करेंगे जो पर्यटन उद्देश्य के लिए संरक्षित क्षेत्रों के अंदर प्रवेश के लिए अनुमत्य होगी.

iii 5-12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एकल सीट परमिट के लिए प्रवेश शुल्क उपरोक्त तालिका (बी) में उल्लेखित शुल्क का आधा होगा एवं उन्हें सफारी मोटर चलित नाव/पोत में एक सीट उपलब्ध कराई जावेगी. पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे निःशुल्क प्रवेश के पात्र होंगे और वे अपने माता-पिता द्वारा धारित सीट साझा करेंगे.

iv संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी पर्यटन उद्देश्य के लिए जल मार्ग निर्धारित करेंगे और मोटर चलित नाव/पोत के संचालन के मार्गों को भी चिन्हांकित करेंगे.. बोर्डिंग और डी-बोर्डिंग की अनुमति केवल पूर्व निर्धारित लैंडिंग साइटों पर दी जाएगी, जैसा कि संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा नाव/पोत के संचालकों के अनुरोध पर निर्धारित की गई हों. मोटर चलित नाव/पोत को निर्दिष्ट लैंडिंग साइटों से पृथक् किसी अन्य स्थान पर डॉक नहीं किया जावेगा.

- v संरक्षित क्षेत्रों के प्रभारी अधिकारी द्वारा तय की गई अवधि के लिए ही जल सफारी की अनुमति होगी और उसे जलीय जीवों के घोंसले बनाने और प्रजनन काल के दौरान या किसी अन्य प्रबंधकीय कारणों से क्षेत्र को बंद करने का पूर्ण अधिकार होगा.
- vi जल मार्ग की धारण क्षमता, यात्राओं की संख्या, यात्रा की अवधि, यात्राओं की समय-सीमा, किनारे से न्यूनतम दूरी, नाव/पोत में अधिकतम अनुमत्य पर्यटकों की संख्या और दो मोटर चलित नावों/पोतों के बीच संचालन के समय का अंतर आदि मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के परामर्श से संरक्षित क्षेत्रों के प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जावेगा.
- vii मोटर चलित नाव/पोत पर सवार होने वाले पर सभी आगंतुक/पर्यटक क्षतिपूर्ति बांड हस्ताक्षर करेंगे और संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन द्वारा निर्धारित सभी क्या करें एवं क्या न करें संबंधित निर्देशों का पालन करना होगा. मोटर चलित नाव/पोत पर सवार प्रत्येक पर्यटक को जल सफारी के दौरान जीवन रक्षा जैकेट पहनना होगा और सभी सुरक्षा निर्देशों और नियमों का पालन करना होगा. किसी भी मामले में संगीत बजाना, वन्यजीवों और मछलियों को खिलाना आदि, लाउड स्पीकर का उपयोग और जलीय संरचना में किसी भी प्रकार का कचरा निपटान या कोई भी गतिविधि जो वनस्पतियों और जीवों पर व्यवधान और प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकती है, सख्ती से निषिद्ध होगी.
- viii मोटर चलित नाव/पोत पर सवार कोई भी व्यक्ति किसी भी खतरनाक सामग्री या आग्नेय शस्त्र या क्षय हो चुकी खाद्य सामग्री नाव या कोई अन्य आपत्तिजनक पदार्थ नहीं रखेगा एवं जल सफारी के दौरान शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन निषेध रहेगा.
- ix नाव पर सवार सभी पर्यटकों/अधिकारिक व्यक्ति/कर्मचारियों/गाइड इत्यादि के पास अनुज्ञा-पत्र के साथ एक वैध पहचान-पत्र होना अनिवार्य होगा और जिसे उन्हें मांगे जाने पर संरक्षित क्षेत्र के अधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा.

(4) वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, रालामण्डल अभयारण्य एवं मुकुन्दपुर चिड़ियाघर हेतु प्रवेश शुल्क

(क) शुल्क तालिका

क्र. (1)	भ्रमण का प्रकार (2)	पर्यटकों हेतु प्रवेश शुल्क (रु. में) (3)
1	पैदल भ्रमण	रु. 20/- प्रति व्यक्ति
2	साइकिल द्वारा भ्रमण (एक व्यक्ति)	रु. 30/- प्रति साइकिल
3	दो पहिया मोटर वाहन (अधिकतम दो व्यक्ति)	रु. 60/- प्रति मोटर वाहन
4	ऑटो रिक्शा (चालक सहित अधिकतम 4 व्यक्ति)	रु. 120/- प्रति वाहन
5	हल्के चार पहिया वाहन (अधिकतम 5 व्यक्ति क्षमता वाले)	रु. 250/- प्रति वाहन
6	हल्के चार पहिया वाहन (5 व्यक्ति से अधिक क्षमता तक)	रु. 400/- प्रति वाहन
7	मिनी बस (अधिकतम 20 व्यक्ति की क्षमता तक)	रु. 1000/- प्रति वाहन
8	बस (20 से अधिक व्यक्तियों की क्षमता वाले)	रु. 2000/- प्रति वाहन
9	गोल्फ कार्ट से भ्रमण अथवा सफारी भ्रमण प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन से)	प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त रु. 50/- व्यक्ति.
10	सूर्यास्त 12 वर्ष से अधिक उम्र के पर्यटक उपरांत 5-12 वर्ष तक की आयु वर्ग के पर्यटक सफारी 5 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे	200/- प्रति व्यक्ति 100/- प्रति व्यक्ति निःशुल्क

(ख) उपरोक्त वर्णित दरें वर्ग-6 हेतु सामान्य (Generic Rates) दरें हैं. संरक्षित क्षेत्र/चिड़ियाघर के भारसाधक अधिकारी यह निर्धारण करेंगे कि उनके संरक्षित क्षेत्र हेतु उपरोक्त में से कौनसी गतिविधियां उपयुक्त हैं तथा तदनुसार प्रवेश शुल्क लेकर उपयुक्त गतिविधियों हेतु अनुज्ञा-पत्र जारी करेंगे.

(ग) अनुक्रमांक 2 से 8 में वर्णित प्रति वाहन हेतु दरों में पर्यटकों का प्रवेश शुल्क सम्मिलित है. वाहन में उपस्थित पर्यटकों की संख्या वाहन की पंजीकृत पासिंग क्षमता से अधिक नहीं हो सकेगी.

(घ) अनुक्रमांक 9 पर गोल्फ कार्ट से भ्रमण/सफारी भ्रमण शुल्क अनुक्रमांक 01 से 08 तक वर्णित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त है.

- (ड) सफारी भ्रमण हेतु पर्यटकों की वाहन में न्यूनतम आवश्यक संख्या संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन द्वारा निर्धारित की जावेगी. सफारी हेतु उपलब्ध अपर्याप्त पर्यटकों की संख्या की दशा में इच्छुक पर्यटक न्यूनतम अपेक्षित व्यक्तियों हेतु शुल्क का भुगतान करते हुए सफारी प्राप्त कर सकेंगे.
- (5) प्रबंधन द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर पार्क भ्रमण सीमित कालावधि के लिए तथा मार्गों का विनिश्चय किया जाएगा. वन विहार राष्ट्रीय उद्यान/रालामंडल अभयारण्य में पैदल या साइकिल द्वारा प्रवेश शुल्क हेतु मासिक/वार्षिक/आजीवन दरें निम्नलिखित होंगी:—

अ. क्र.	प्रवेश का प्रकार	मासिक शुल्क (प्रति व्यक्ति)	वार्षिक शुल्क (प्रति व्यक्ति)	आजीवन शुल्क (प्रति व्यक्ति)	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पैदल	रु. 300	रु. 3000	रु. 24,000	संचालक या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस हेतु अवधि निर्धारण किया जाकर नियमित प्रवेश हेतु पास जारी किए जाएंगे.
2	साइकिल द्वारा	रु. 450	रु. 4500	रु. 30,000	

- (6) क्षेत्र की विशिष्टताओं एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित गतिविधियों तथा उसके प्रचलन का विनिश्चय किया जायेगा. वह पर्यटकों हेतु किसी नई गतिविधि भी सम्मिलित कर सकेगा. किसी नई गतिविधि को प्रस्तावित करने के पूर्व वह गतिविधि के क्षेत्र एवं शुल्क का विनिश्चय करने के पश्चात् प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का अनुमोदन लेगा.
- (7) उपरोक्त समस्त तालिकाओं में दर्ज पर्यटन अनुज्ञा-पत्र शुल्क भारतीय पर्यटकों हेतु है. विदेशी पर्यटकों हेतु श्रेणी-1 के वन्यप्राणी पर्यटन क्षेत्रों में वाहन आधारित पर्यटन सफारी का पर्यटन अनुज्ञा-पत्र शुल्क भारतीय पर्यटकों हेतु निर्धारित पर्यटन अनुज्ञा-पत्र शुल्क का दुगना होगा.
- (8) प्रत्येक पर्यटन वर्ष अनुज्ञा-पत्रों की ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ होने के पूर्व मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश आगामी वर्ष हेतु वन्यप्राणी पर्यटन प्रीमियम दिवसों को निर्धारित किया जाएगा. प्रीमियम दिवसों में श्रेणी-1 के वन्यप्राणी पर्यटन क्षेत्रों में वाहन आधारित पर्यटन सफारी का पर्यटन अनुज्ञा-पत्र शुल्क भारतीयों एवं विदेशी पर्यटकों हेतु क्रमशः वर्ग गुणांक 2 एवं 4 की दर से लिया जाएगा. सिंगल सीट अनुज्ञा-पत्र शुल्क उक्त का 1/6 होगा.

4. ऑनलाइन अनुज्ञा-पत्रों का जारी किया जाना

- (1) उन संरक्षित क्षेत्रों के लिये जहां पर्यटक धारण क्षमता की गणना अनुसार प्रतिदिन के लिये उपलब्ध वाहनों हेतु अनुज्ञा-पत्रों की संख्या जारी किया जाना नियत है, वहां प्रतिदिन उपलब्ध कुल अनुज्ञा-पत्रों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित प्रतिशत ऑनलाइन/पर्यटन द्वार पर उपलब्ध रहेगा. प्रतिशतता अनुसार अनुज्ञा-पत्रों की वास्तविक संख्या प्राप्त करते हुए संख्या का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा:—

एकल सीट अनुज्ञा (ऑन लाइन)	एकल सीट अनुज्ञा (पर्यटन द्वार पर)	क्षेत्र संचालक कोटा	संपूर्ण वाहन अनुज्ञा (ऑन लाइन)
(1)	(2)	(3)	(4)
10 %	10 %	10 %	शेष अनुज्ञा-पत्र

- (2) उन पर्यटन क्षेत्रों में जहां पर्यटक धारण क्षमता एवं प्रतिदिन जारी किये जाने वाले अनुज्ञा-पत्रों की उच्च सीमा विनिश्चित नहीं है, ऐसे क्षेत्रों हेतु मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक धारण क्षमता विनिश्चित कर सकेंगे. भारसाधक अधिकारी ऑनलाइन बुकिंग हेतु उपलब्ध अनुज्ञा-पत्रों की संख्या विनिश्चय करेंगे.
- (3) पर्यटन द्वार अनुज्ञा-पत्र सफारी दिवस के एक दिन पूर्व सायं काल 5:00 बजे से उपलब्ध होंगे. बुकिंग का वास्तविक समय संरक्षित क्षेत्र के भार साधक अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जायेगा.
- (4) सुनिश्चित एकल सीट अनुज्ञा-पत्रधारी को प्रवेश समय के आधा घंटा पूर्व नियत प्रवेश द्वार पर उपस्थित रहेंगे तथा काउंटर पर अपने-अपने अनुज्ञा-पत्र एवं परिचय-पत्र दर्शित करने होंगे. यदि वे प्रवेश समय के आधा घंटा पूर्व पहुंचने में असफल रहते हैं तो उनके अनुज्ञा-पत्र स्वमेव निरस्त माने जाएंगे. ऐसे अनुज्ञा-पत्र प्रवेश द्वार पर एकल सीट अनुज्ञा-पत्र के रूप में बुकिंग हेतु उपलब्ध होंगे.

- (5) संपूर्ण वाहन अनुज्ञा-पत्र धारी पर्यटकों को प्रातः सफारी हेतु प्रवेश समय के एक घंटा पश्चात् तक तथा सायं सफारी हेतु पार्क प्रवेश समय के आधा घंटा पश्चात् तक प्रवेश द्वार पर अपने-अपने अनुज्ञा-पत्र तथा परिचय-पत्र दिखाने होंगे। यदि वे इस समय तक पहुंचने में असफल रहते हैं तो उनके अनुज्ञा-पत्र स्वमेव निरस्त माने जाएंगे एवं ऐसा अनुज्ञा-पत्र प्रवेश द्वार पर एकल सीट अनुज्ञा-पत्र के रूप में बुकिंग हेतु उपलब्ध होंगे। ऐसे उपलब्ध अनुज्ञा-पत्रों के पर्यटक अगले 30 मिनट तक पार्क में प्रवेश कर सकेंगे। उन परिस्थितियों से अन्यथा जब पूर्व से बुक किये गये अनुज्ञा-पत्र के पश्चात् जारी अनुज्ञापत्रधारी पर्यटक समय पर पहुंचने में असफल रहते हैं तो सामान्यतः पार्क प्रवेश समय के एक घंटे पश्चात् पर्यटकों को अनुज्ञा नहीं किया जाना चाहिए।
- (6) प्रवेश अनुज्ञा-पत्र में सूचीबद्ध समस्त भारतीय पर्यटकों के लिए कोई एक विधिमान्य पहचान-पत्र (आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, पेनकार्ड, वोटर आईडी, केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा जारी किया गया कोई अन्य परिचय-पत्र, स्कूल-कॉलेज द्वारा जारी परिचय-पत्र) रखना अनिवार्य होगा। यदि प्रवेश अनुज्ञा-पत्र में वर्णित व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, तो प्रवेश अनुज्ञा-पत्र निरस्त हो जाएगा।
- (7) प्रवेश अनुज्ञा-पत्र में सूचीबद्ध समस्त विदेशी पर्यटकों को उनके पहचान-पत्र के रूप में पासपोर्ट रखना अनिवार्य होगा। यदि प्रवेश अनुज्ञा-पत्र में वर्णित व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, तो प्रवेश अनुज्ञा-पत्र निरस्त हो जाएगा।
- (8) ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था के अंतर्गत, पर्यटन क्षेत्र के लिए एक बार समस्त उपलब्ध संपूर्ण वाहन अनुज्ञा-पत्र बुक हो जाएंगे तो इच्छुक पर्यटकों को सीमित संख्या में (ऑनलाइन टिकटों का 10 प्रतिशत, युक्तियुक्तकरण के पश्चात्) ऑनलाइन प्रतीक्षा सूची के अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाएंगे। पुष्टिकृत अनुज्ञा-पत्र निरस्तीकरण की स्थिति में प्रतीक्षा वेटिंग अनुज्ञापत्रकों को प्राथमिकता से पुष्टिकृत किया जावेगा। यदि प्रतीक्षा सूची अनुज्ञा-पत्र सफारी के 5 दिन पूर्व तक भी पुष्टिकृत नहीं हो पाती है तो वह स्वमेव निरस्त हो जाएगी एवं बुकिंग के लिए प्रभारित प्रवेश शुल्क पोर्टल शुल्क से घटाकर वापस कर दी जाएगी।

5 एड-ऑन सुविधा

- (1) उन संरक्षित क्षेत्रों के लिये जहां ऑनलाइन अनुज्ञा-पत्र बुकिंग सुविधा प्रचालन में है, तो पहले से बुक किये गये संपूर्ण वाहन अनुज्ञा-पत्र के लिए पर्यटकों के नाम वाहन की अधिकतम क्षमता हो जाने तक, निम्नलिखित शर्तों के साथ ऑनलाइन जोड़े जा सकेंगे:—
 - (क) मूल रूप से बुक किये गये अनुज्ञा-पत्र में न्यूनतम दो पर्यटकों के नाम वर्णित हों।
 - (ख) कम से कम दो पर्यटक जिनके नाम पर मूल अनुज्ञा-पत्र बुक किया गया था वे पार्क भ्रमण के दौरान उपस्थित हों अन्यथा अनुज्ञा-पत्र निरस्त माना जाएगा।
 - (ग) खण्ड (ख) में वर्णित उपबंध केवल उन्हीं अनुज्ञा-पत्रों पर लागू होंगे उसमें दोनों तरह के पर्यटक, मूल रूप से बुक किये गये एवं इस सुविधा का उपयोग कर जोड़े गये, पर्यटक हों। उन अनुज्ञा-पत्रों जिनमें एडऑन सुविधा का उपयोग नहीं किया गया हो, यदि उसमें प्रथम दो अथवा कोई अन्य पर्यटक सफारी के समय अनुपस्थित रहता है तो अनुज्ञा-पत्र बना रहेगा एवं अन्य उपस्थित पर्यटक सफारी हेतु जा सकेंगे।
 - (घ) केवल एक बार जाने में, अनुज्ञा-पत्र में चार अतिरिक्त पर्यटकों के नाम जोड़े (एड ऑन) जा सकेंगे। धारा-3 की सारणी (1) तथा धारा-3 की उपधारा (2) की सारणी (क) एवं (ख) पर आधारित ऐसे अतिरिक्त के लिए एक अनुज्ञा-पत्र का मूल्य एक अतिरिक्त शुल्क के बराबर जैसे टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र हेतु एवं अन्य क्षेत्रों हेतु रुपये 1,500/- देय होगी।
 - (ङ) एडऑन सुविधा किसी सफारी दिवस हेतु बुकिंग प्रारंभ होने के 7 दिवस उपरांत जारी किये गये अनुज्ञा-पत्रों पर ही उपलब्ध होगी। एडऑन सुविधा का लाभ अनुज्ञा-पत्र पर सफारी दिनांक के 30 दिवस से पूर्व लिया जा सकेगा।
 - (च) एडऑन सुविधा का उपयोग पुनर्निर्धारण सुविधा का उपयोग करने के पश्चात् नहीं किया जा सकेगा।

6 प्रवेश अनुज्ञा-पत्र का निरस्तीकरण/पुनर्निर्धारण शुल्क

- (1) ऐसे पर्यटक क्षेत्रों में जहां वाहन क्षमता नियत है, पर्यटक अपनी यात्रा की तारीख एवं पर्यटन जोन (उसी संरक्षित क्षेत्र के भीतर) का ऑनलाइन बुक किये गये अनुज्ञा-पत्रों का पुनर्निर्धारण एक बार उपलब्धता या निरस्तीकरण के अध्यक्षीन रहते हुए कर सकेगा। ऐसे निरस्तीकरण/पुनर्निर्धारण के लिए वे निम्नलिखित सारणी में विहित प्रभारों का भुगतान करेंगे:—

(2) सारणी:—

क्र.	ब्यौरे	निरस्तीकरण पश्चात् वापस की गयी रकम	पुनर्निर्धारण हेतु प्रभारित रकम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रवेश/सफारी दिनांक से 30 दिवस या अधिक पूर्व अनुज्ञा-पत्र निरस्तीकरण/पुनर्निर्धारण.	पोर्टल शुल्क घटाने के पश्चात् अनुज्ञा-पत्र शुल्क की संपूर्ण रकम.	केवल पोर्टल शुल्क
2	प्रवेश/सफारी दिनांक के पूर्व 29 दिवस से 15 दिवस के मध्य अनुज्ञा-पत्र का निरस्तीकरण/पुनर्निर्धारण.	अनुज्ञा-पत्र शुल्क एवं पोर्टल शुल्क का 50 प्रतिशत घटाने के पश्चात् शेष रकम.	अनुज्ञा-पत्र शुल्क एवं पोर्टल शुल्क का 50 प्रतिशत.
3	प्रवेश/सफारी दिनांक से 14 दिवस से सफारी प्रवेश दिनांक की पूर्व संध्या 5:00 बजे तक अनुज्ञा-पत्र निरस्तीकरण/पुनर्निर्धारण.	अनुज्ञा-पत्र शुल्क तथा पोर्टल शुल्क 75 प्रतिशत घटाने के पश्चात् शेष रकम.	अनुज्ञा-पत्र शुल्क एवं पोर्टल शुल्क 75 प्रतिशत.

- (3) ऑनलाइन बुक किये गये अनुज्ञा-पत्र यदि 5 दिवस या उससे पूर्व निरस्त/पुनर्निर्धारित किये जाते हैं, तो अनुज्ञा-पत्र अन्य पर्यटकों द्वारा ऑनलाइन बुकिंग हेतु उपलब्ध होंगे. अनुज्ञा-पत्र सफारी दिनांक के 5 या सफारी के पूर्व की कम दिन से एक दिन पूर्व सायं 5 बजे तक निरस्तीकरण/पुनर्निर्धारण की दशा में अनुज्ञा-पत्र क्षेत्र संचालक कोटा को बुकिंग हेतु उपलब्ध होगा. सफारी की तारीख के एक दिन पूर्व सायं 5:00 बजे के पश्चात्, निरस्तीकरण/पुनर्निर्धारण कराना संभव नहीं होगा.
- (4) यदि निरस्तीकरण सुविधा का उपयोग एड-ऑन पुनर्निर्धारण के पश्चात् किया जाता है तो पश्चात् निरस्तीकरण वापसी रकम की गणना मूल अनुज्ञा-पत्र शुल्क के लागू (टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र हेतु रुपये 1,500/- या अन्य क्षेत्रों हेतु उपधारा 3 की सारणी (1) एवं (2) के अनुसार विनिश्चित शुल्क) प्रतिशतता के अनुसार संगणित की जाएगी.
- (5) यदि निरस्तीकरण का उपयोग एड-ऑन सुविधा के उपयोग करने के पश्चात् किया जाता है, तो निरस्तीकरण पश्चात् की वापसी की रकम मूल अनुज्ञा-पत्र के शुल्क एड-ऑन का शुल्क (टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र हेतु रुपये 3,000/- या अन्य क्षेत्रों हेतु उपधारा (3) की सारणी (1) तथा (2) के अनुसार विनिश्चित शुल्क) लागू प्रतिशतता के अनुसार संगणित की जाएगी.
- (6) यदि पुनर्निर्धारण का उपयोग एड-ऑन सुविधा के उपयोग करने के पश्चात् किया जाता है तो पुनर्निर्धारण शुल्क मूल अनुज्ञा-पत्र का शुल्क (टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र हेतु रुपये 1,500/- या अन्य क्षेत्रों हेतु उपधारा-3 की सारणी (1) तथा (2) के अनुसार विनिश्चित शुल्क) के लागू प्रतिशतता के अनुसार संगणित की जाएगी.

7. पर्यटन हेतु संरक्षित क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश का विनियम—

- (1) संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी एक पर्यटन वर्ष हेतु अपने संरक्षित क्षेत्र के भीतर पर्यटन के प्रयोजनों हेतु वाहनों का पंजीकरण करेगा. वह भौगोलिक विशिष्टताओं, पर्यटन आवश्यकताओं एवं क्षेत्र के अन्य स्थानीय तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वाहनों और चालकों हेतु न्यूनतम अर्हताकारी मानक विनिश्चित करेगा. वह वाहनों की कतिपय श्रेणी का प्रवेश प्रतिबंधित कर सकेगा.
- (2) संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी क्षेत्र की पर्यटन वाहन क्षमता, क्षेत्र में पर्यटकों के भ्रमण के रुझान, नवीन पर्यटन जोन की उपलब्धता के आधार पर एवं स्टेकहोल्डरों से चर्चा पश्चात् पंजीकृत वाहनों की संख्या विनिश्चय करेंगे. यदि पर्यटक वाहन की वर्तमान संख्या ऐसी विनिश्चित संख्या से कम है तो नये पर्यटक वाहन पंजीकृत किये जा सकेंगे. यदि पर्यटक वाहन की वर्तमान संख्या ऐसी विनिश्चित संख्या से अधिक है तो समस्त वाहन पंजीकृत किया जा सकेंगे.
- (3) समस्त पंजीकृत वाहन रोस्टर पद्धति के अंतर्गत प्रचलित होंगे. रोस्टर पद्धति संरक्षित क्षेत्र के भार-साधक अधिकारी के समक्ष पंजीकृत पर्यटक वाहन संस्था द्वारा प्रबंधित संरक्षित क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित प्रबंधन द्वारा विनिश्चित प्रक्रिया से प्रबंधित होगी.
- (4) मध्यप्रदेश पर्यटन निगम द्वारा प्रचलित पर्यटन बस या संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन द्वारा प्रचलित कोई पर्यटक वाहन रोस्टर पद्धति का हिस्सा नहीं होगा.

- (5) प्रवेश द्वार से पार्क भ्रमण के लिए उपयोग किए गए पंजीकृत पर्यटक वाहन हेतु वाहन किराया प्रभार्य पर्यटकों द्वारा देय होगा। ऐसे भ्रमण के लिये किराया शुल्क संरक्षित क्षेत्र के भार-साधक अधिकारी द्वारा पर्यटक जोन में मार्गों की लम्बाई, सफारी की अवधि तथा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पर तथा मध्यप्रदेश पर्यटन द्वारा अधिसूचित लागू दरों के आधार पर विचार करने के पश्चात् विनिश्चित की जाएगी।
- (6) यदि कोई पर्यटक/पर्यटक समूह रोस्टर के माध्यम से आवंटित पंजीकृत वाहन से भिन्न अन्य पंजीकृत वाहन से पार्क भ्रमण की इच्छा रखते हैं तो उसे रोस्टर द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन को लागू वाहन किराया प्रभार का 70 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करना होगा। ऐसी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के पश्चात् वाहन रोस्टर पूर्ण होने तक अनुपलब्ध माना जाएगा तथा एक बार रोस्टर पूर्ण होने पर विशिष्ट वाहन पुनः रोस्टर में उपलब्ध होगा।
- (7) किसी वाहन को पंजीकृत करने के पूर्व, संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि अथवा उनके द्वारा गठित समिति द्वारा, पर्यटन वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व समस्त वाहनों का फिटनेस एवं वाहन तथा वाहन चालक हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताकारी मानक के आधार पर परीक्षण किया जावेगा। वाहन का प्रदूषण परीक्षण तथा फिटनेस आरटीओ के माध्यम से कराया जाकर सहायक संचालक स्तर के अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। उपरोक्त से संबंधित दस्तावेज क्षेत्र संचालक कार्यालय में संधारित किये जाएंगे।
- (8) समस्त पंजीकृत वाहनों हेतु रुपये 2,000/- का पंजीयन शुल्क देय होगा। उक्त शुल्क संरक्षित क्षेत्र की उद्यान विकास निधि में जमा किया जाएगा।
- (9) पर्यटन अवधि के दौरान संरक्षित क्षेत्र के अंदर सुरक्षित वाहन चालन सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत उद्यान वाहनों के वाहन चालकों के लिए फोटोग्राफी करना प्रतिबंधित होगा।
- (10) संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी, पंजीकृत वाहनों के मालिक/वाहन चालक द्वारा पर्यटन क्षेत्र में प्रवृत्त किसी नियम या अधिनियम की शर्तों के उल्लंघन की दशा में संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी पंजीकृत पर्यटन वाहन की प्रवेश अनुमति/पंजीकरण को कुछ अवधि के लिये रद्द कर सकेगा अथवा क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर सकेगा।
- 7(11) डीजल अथवा पेट्रोल चलित वाहन जो मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण करते हों, पर्यटक वाहनों के रूप में पंजीकरण किये जा सकेंगे। समस्त पर्यटक वाहन अपने प्रारंभिक पंजीकरण वर्ष से 10 वर्षों तक की अवधि तक पर्यटन पंजीकरण हेतु पात्र होंगे।
- 7(12) (ए) पर्यटन के लिए संरक्षित क्षेत्र के अंदर मोटर चलित नावों/पोतों का विनियमन:—
1. संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के संरक्षित क्षेत्र के अंदर पर्यटन उद्देश्यों के लिए मोटर चलित नाव/पोत का पंजीकरण 5 पर्यटन वर्षों के लिए करेंगे। वह निम्नानुसार दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए नाव/पोत के लिए न्यूनतम पात्रता मानकों का निर्धारण करेगा:—
 - i. मोटर चलित नाव/पोत की अधिकतम अनुमत्य क्षमता 50 से अधिक व्यक्तियों की नहीं होगी।
 - ii. जल पर्यटन के लिये निर्धारित धारण क्षमता के भीतर ही मोटर चलित नाव/पोत का पंजीकरण किया जायेगा।
 - iii. मोटर चलित नाव/पोत को आई.आर.एस. मापदंड या आई.ए.सी. एस/आई.एस.सी. मापदंडों के अनुसार ही निर्मित किया जाएगा और जो संबंधित नियामक प्राधिकरण एम.एम.डी. और राज्य समुद्री विभाग के साथ पंजीकृत नौसेना वास्तुकार द्वारा प्रमाणित हो।
 - iv. मोटर चलित नाव/पोत प्रदूषण मुक्त होनी चाहिए और मोटर चलित नाव/पोत से किसी भी तरह का अपशिष्ट जल में या उसके आस-पास नहीं छोड़ा/बिखेरा जावेगा।
 - v. वन भूमि पर ईंधन और तेलों के भंडारण की अनुमति नहीं होगी।
 - vi. मोटर चलित नाव/पोत के न्यूनतम मानकों के साथ-साथ मानक आपूर्ति सहित प्राथमिक चिकित्सा बाक्स, विशेष रूप से पानी के बचाव के लिए विकसित बचाव ट्यूब, तटवर्ती संचार उपकरणों, अग्नि शमन के यंत्र और सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का मोटर चलित नाव/पोत पर उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।
 2. मोटर चलित नाव/पोत का पंजीकरण की प्रक्रिया दो चरण की होगी। विस्तृत प्रक्रिया, आवेदन का प्रारूप, आवेदन शुल्क और पंजीकरण शुल्क आदि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा तय किए जाएंगे, जो नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे:—
 - i. संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी निर्दिष्ट जल संरचनाओं में मोटर चलित नाव/पोत के पंजीकरण के लिये निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए विज्ञप्ति जारी करेंगे। विज्ञप्ति को समाचार-पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से और सार्वजनिक सूचना पटल पर सामान्य नोटिस द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

- ii. इच्छुक आवेदक राज्य सरकार द्वारा तय किए गए निर्धारित अभिलेखों और आवेदन शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में निवेश करने के इरादे से आवेदन कर सकेंगे।
 - iii. संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा जांच हेतु गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी। पात्र पाए जाने वाले, आवेदक को निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य पत्र जारी किया जाएगा। स्वीकार्यता पत्र जारी करने से एक वर्ष की समय-सीमा के भीतर आवेदक को न्यूनतम निर्धारित मानकों के अनुसार मोटर चलित नाव/पोत, अपेक्षित प्रमाणित कर्मचारियों और संचालन और सुरक्षा गियर आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा। आवेदक को मोटर चलित नाव/पोत को संचालन के लिए सभी आवश्यक लाइसेंस और पूर्व-अपेक्षित प्रमाण-पत्रों को भी उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर जमा करना होगा।
 - iv. उपरोक्त (III) में उल्लिखित दस्तावेजों को जमा करने पर, संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे। पंजीकरण से पहले की सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति की संतुष्टी होने पर, संरक्षित क्षेत्रों के प्रभारी अधिकारी 5 वर्षों के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क लेने के बाद लाइसेंस जारी करेंगे, जो इस शर्त के अधीन होगी कि मोटर चलित नाव/पोत हर पर्यटन सीजन से पहले जांच में संचालन के लिए फिट पाए जावे।
 - v. आवश्यक शुल्क के साथ संरक्षित क्षेत्र के अधिकारी प्रभारी द्वारा तय किए गए प्रारूप में नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत करके मोटर चलित नाव/पोत के पंजीकरण को प्रारंभिक 5 पर्यटन वर्षों के बाद नवीनीकृत किया जा सकता है। पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन, पंजीकरण समाप्त होने से कम से कम 30 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा। संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा मोटर चलित नाव/पोत की फिटनेस स्थिति और अन्य वांछित आवश्यक शर्तों का आंकलन करने के बाद, यदि यह सही पाता है तो आवश्यक नवीकरण शुल्क लेने के बाद, अगले 3 पर्यटन वर्षों के लिए पंजीकरण को नवीनीकृत करेगा, जो इस शर्त के अधीन होगा कि मोटर चलित नाव/पोत हर पर्यटक मौसम से पहले संचालन के लिए फिट पायी जावे। प्रथम नवीनीकरण के पश्चात् पुनः नवीनीकरण एक पर्यटन वर्ष के लिए होगा, जो प्रथम नवीनीकरण में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार होगा।
3. पंजीकरण की शर्तें:—लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जाएगा:—
- i. मोटर चलित नाव/पोत मालिक/संचालक और उसके कर्मचारी हर समय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, अन्य प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों, उनमें किए गए प्रावधानों और संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन द्वारा निर्धारित किए गए क्या करें एवं क्या न करें प्रावधानों का कड़ाई से पालन करेंगे।
 - ii. सभी मोटर चलित नाव/पोत इकाई मालिक/संचालकों को एनआईडब्ल्यूएस या समकक्ष एजेंसी द्वारा निर्धारित अधोसंरचना उपकरणों/सहायक उपकरणों, मालिकों/संचालकों की अर्हता और जल क्रीड़ा संचालन के लिए दिशा-निर्देशों के अनुरूप न्यूनतम मानकों का पालन करना होगा।
 - iii. मालिकों/संचालकों के पास उनके कर्मचारियों के गतिविधियों में शामिल होने के लिए NIWS या भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी संबंधित संस्थान से वैध प्रमाणीकरण होना चाहिए।
 - iv. इकाई मालिकों/संचालकों को मोटर चलित नाव/पोत के लिए खरीदे गए समस्त नए उपकरणों का डिजाइन के साथ-साथ निर्माण किसी प्रमाणन एजेंसी जैसे इंडिया रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आईआरएस) से प्रमाणिक होना चाहिये। मौजूदा उपकरणों में सेवा क्षमता और अंतर्देशीय जल हेतु योग्यता के लिए पंजीकृत समुद्री वास्तुकार से समान प्रमाणन होना चाहिए।
 - v. मालिक/संचालक को किसी भी दुर्घटना, चोट, मृत्यु या जल सफारी के दौरान होने वाले किसी अन्य नुकसान के खिलाफ पर्यटकों का बीमा कराना होगा।
 - vi. मोटर चलित नाव/पोत की धारण क्षमता और पंजीकरण संख्या को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि इसे यात्रियों के साथ-साथ संरक्षित क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा भी आसानी से देखा जा सके।
 - vii. बोयेंसी एड्स पर्याप्त संख्या में और विभिन्न आकारों में उपलब्ध होना चाहिए ताकि वे सभी आकारों और आयु वर्ग के पर्यटकों को फिट हो सकें।
 - viii. मानक आपूर्ति सहित एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और बचाव ट्यूबों के साथ, जो विशेष रूप से पानी के बचाव के लिए विकसित किया गया हो, पर्याप्त संख्या में मोटर चलित नाव/पोत पर होना चाहिए और उसकी समय-समय पर जाँच और अद्यतन किया जाना चाहिए।
 - ix. जल सफारी हेतु निर्दिष्ट लैंडिंग स्थल पर पंजीकृत मोटर चलित नाव/पोत का किराया शुल्क, पर्यटकों द्वारा अग्रिम रूप से देय होगा। पर्यटन क्षेत्र में जल सफारी की लंबाई, सफारी अवधि और मध्यप्रदेश पर्यटन द्वारा अधिसूचित दरों को आधार के रूप में मानते हुए ऐसी यात्रा के लिए किराया शुल्क संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा निश्चित किया जाएगा।

- x. पर्यटन मौसम की शुरुआत से पहले प्रत्येक वर्ष मोटर चलित नाव/पोत को पर्यटन में चलाने की अनुमति देने के पूर्व, संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि या गठित समिति, सभी मोटर चलित नाव/पोत की फिटनेस और नावों एवं चालकों के लिए न्यूनतम पात्रता मानकों की जांच करेगी.
- xi. मालिक/संचालक या उसके कर्मचारी, संरक्षित क्षेत्रों के प्रभारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नाव/पोत की अधोसंरचना में कोई भी परिवर्तन, परिवर्धन या इजाफा नहीं करेंगे.
- xii. सभी मालिक/संचालक प्रत्येक माह की 5 तारीख को उनके द्वारा विगत माह में सेवित भारतीय और विदेशी पर्यटकों के संबंध में संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आंकड़े, संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे.
- xiii. मोटर चलित नाव/पोत मालिकों/संचालकों को सेवाओं को चलाने के लिए कुल रोजगार के न्यूनतम 70 प्रतिशत से स्थानीय समुदाय में से नियोजित करना होगा.
- xiv. अपराधिक पृष्ठभूमि वाले कोई भी व्यक्ति को मोटर चलित नाव/पोत के संचालन में नियोजित नहीं किया जाएगा.
- xv. मोटर चलित नाव/पोत के मालिक/संचालक/कर्मचारी/ड्राइवर आदि में वांछित योग्यताएं होनी चाहिए जैसे कि जीवन रक्षक तकनीक, पावर बोट हैंडलिंग, सी.पी.आर., प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण और राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस) या इसी तरह के मान्यता प्राप्त संस्थानों से अन्य आवश्यक प्रमाणन.
- xvi. किसी भी मोटर चलित नाव/पोत के मालिक/संचालक अपनी नाव/पोत में पर्यटकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा.
- xvii. कोई मोटर चलित नाव/पोत की गति निर्धारित गति सीमा से अधिक नहीं होगी जैसी कि संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की गई हो और यह भी जल सफारी के दौरान नाव/पोत को नहीं रोका जावेगा ताकि 2 नावों के बीच न्यूनतम निर्धारित दूरी बनाई रखी जा सके.
- xviii. मोटर चलित नाव/पोत में एक कुशल जल पंप या बॉयलर होना चाहिए.
- xix. किसी भी मोटर चलित नाव/पोत में, मोटर चलित नाव/पोत के पंजीयन में अनुमत्य अधिकतम व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के नहीं ले जाया जाएगा.
- xx. कोई भी मोटर चलित नाव/पोत लापरवाही या गैर जिम्मेदार तरीके से नहीं चलाई जाएगी और इस तरह से आगे निकाली या नेविगेट नहीं की जाएगी कि उसकी स्लिपस्ट्रीम किसी अन्य मोटर चलित नाव/पोत के लिए खतरनाक हो.
- xxi. ईंधन और तेल के भंडारण करने की अनुमति वन क्षेत्रों की सीमा के भीतर नहीं दी जाएगी.
- xxii. कोई भी व्यक्ति चलती हुई नाव/पोत से नहीं चढ़ेगा/उतरेगा.
- xxiii. मोटर चलित मोटर चलित नाव/पोत प्रदूषण मुक्त होना चाहिए और मोटर चलित नाव/पोत से किसी भी तरह का अपशिष्ट पानी में या आस-पास नहीं होना चाहिये और मोटर चलित नाव/पोत को कुशल साइलेंसर से सुसज्जित किया जाना होगा.
- xxiv. जल सफारी के दौरान किसी भी पौधे, पक्षी या वन्यजीव को कोई नुकसान या व्यवधान नहीं पहुंचाया जावेगा.
- xxv. संरक्षित क्षेत्रा के प्रभारी अधिकारी या संरक्षित क्षेत्रा के किसी भी अन्य अधिकारी को मोटर चलित नाव/पोत में प्रवेश करने, निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
- xxvi. किसी भी दुर्घटना/अप्रिय घटना की स्थिति में, यूनिट मालिक/संचालक, तेजी से संचार करने वाले माध्यम का उपयोग करके स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस थाना और संरक्षित क्षेत्र के अधिकारी को तत्काल सूचित करेगा.

- xxvii. मोटर चलित नाव/पोत के मालिक/संचालक या उसके कर्मचारियों द्वारा पंजीयन की शर्तों या जल सफारी हेतु लागू किसी नियम या अधिनियम के उल्लंघन की दशा में संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी निश्चित अवधि या स्थायी रूप से पंजीकृत पर्यटन मोटर चलित नाव/पोत की अनुमति/पंजीयन निरस्त कर सकेगा या/मुआवजा अधिरोपित कर सकेगा.
- xxviii. संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित स्थितियों में भी मोटर चलित नाव/पोत की प्रवेश अनुमति और पंजीकरण रद्द कर सकते हैं :—
- (क) मोटर चलित नाव/पोत इकाई के मालिक/संचालक को भारतीय दंड संहिता के अध्याय 14 और 16 के तहत या उनके अंतर्गत बनाए नियमों के तहत, या जमाखोरी या तस्करी या मुनाफाखोरी या खाद्य मिलावट या भ्रष्टाचार की रोकथाम से संबंधित किसी भी कानून के तहत दोषी ठहराया गया है, और अगर इस तरह की सजा की तारीख से 2 साल की अवधि समाप्त नहीं हुई है.
- (ख) मोटर चलित नाव/पोत इकाई के मालिक/संचालक को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है और उसे भुनाया नहीं गया है.
- (ग) मालिक/संचालक या गाइड या मोटर चलित नाव/पोत के चालक के पास निर्धारित वैधानिक रूप से आवश्यक योग्यता न हों.

8. फिल्मांकन/वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी हेतु दरें :

- (1) पर्यटकों को सामान्य सफारी भ्रमणों के दौरान उनके स्टिल अथवा वीडियो कैमरे निःशुल्क उपयोग करने की अनुज्ञा होगी. पर्यटक उनके मोबाइल फोन या समकक्ष उपकरणों का उपयोग फोटो खींचने के लिए उपयोग करने की अनुमति है. पार्क भ्रमण के दौरान मोबाइल फोन साइलेंट मोड में रखना उनके लिये अनिवार्य होगा. संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी इस संबंध में अतिरिक्त नियम लागू कर सकेगा.
- (2) संरक्षित क्षेत्रों में विशेष फिल्मांकन/वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा, संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा कैमरामेन के नाम से दी जाएगी. शुल्क निम्नलिखित सारणी के आधार पर होगा.

अवधि	भारतीय शैक्षणिक/ अनुसंधान संस्थान; भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश राज्य सरकार के विभाग एवं संस्थान (शुल्क रु. में/दिन)	अन्य (शुल्क रु. में/दिन)	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रथम सात दिन तक	रु. 10,000	रु. 40,000	अनुज्ञा पत्र शुल्क
8वें दिन से 15वें दिन	रु. 7,500	रु. 30,000	प्रति दिवस की दर
16वें दिन से 30वें दिन तक	रु. 5,000	रु. 20,000	से है. कैमरामेन
31वें दिन से 120 दिनों तक	रु. 4,000	रु. 5,000	द्वारा अपेक्षित अनुज्ञा पत्र शुल्क एकमुश्त जमा किया जाएगा.

- 8(2) (क) लाइव टेलीकास्ट हेतु दरें राज्य शासन द्वारा तय की जा सकेंगी.
- (3) किसी संरक्षित क्षेत्र या चिड़ियाघर के लिए फिल्मांकन/वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी अनुज्ञापत्र शुल्क का विनिश्चय करने हेतु धारा-3 की उप-धारा (1) की सारणी प्रश्नगत विशिष्ट क्षेत्र की श्रेणी के पूर्व उल्लेखित गुणांक के धारा-8 की उप-धारा (2) में उल्लेखित दरों के साथ गुणा किया जाएगा. श्रेणी-छह के क्षेत्रों हेतु श्रेणी-पाँच के अनुरूप गुणांक का उपयोग किया जाएगा. इस गुणन के परिणाम वास्तविक अनुज्ञाशुल्क प्राप्त करने के लिए 10 रुपये या उसके गुणांकों तक पूर्णांकित किया जाएगा.
- (4) धारा-8 की उप-धारा (2) में उल्लिखित दरें केवल तब लागू होंगी यदि फिल्मांकन/वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी के लिए अनुमति समय से परे है तथा साधारण पर्यटकों के लिए मार्गों से हटकर मांगी जाती हैं. यह शुल्क वीडियोग्राफी/फिल्मांकन//फोटोग्राफी की पूरी अवधि के लिए अग्रिम देय होगी. यह अनुज्ञा साधारणतः खुले सीजन

के लिए जारी की जाएगी और यह भागों में भी हो सकती है। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक की पूर्व अनुज्ञा से विशेष कारणों से फोटोग्राफी/फिल्मांकन के प्रयोजन के लिए प्रवेश की अनुज्ञा बंद अवधि के दौरान भी जारी की जा सकती है।

- (5) कैमरामैन से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से फिल्मांकन/वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी की अनुज्ञा जारी की गई है। उसकी सहायता करने के लिए उसके साथ अधिक से अधिक 3 व्यक्ति अनुज्ञात किये जा सकते हैं। उन्हें फोटोग्राफी/फिल्मांकन की अनुज्ञा होगी। 4 व्यक्तियों की इस टीम से पृथक से कोई प्रवेश शुल्क का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- (6) किसी राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य में वीडियोग्राफी/फिल्मांकन/फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा साधारणतया केवल प्राकृतिक सौन्दर्य, वन्य जीव अथवा क्षेत्र के प्राकृतिक इतिहास की रिकार्डिंग करने के लिए ही दी जाएगी। तथापि, सरकार विशेष परिस्थितियों के अधीन किसी अन्य कारण से ऐसे कार्य की अनुज्ञा दे सकेगी बशर्ते कि इससे क्षेत्र के पर्यावरण अथवा वन्यजीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ऐसी अनुज्ञा के लिए विशेष दरें प्रभारित की जाएंगी जो किसी भी दशा में, उप-धारा (3) के अधीन विहित दर से पाँच गुना से कम नहीं होगी।
- (7) वन विभाग द्वारा बनाई जाने वाली या अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं के माध्यम से फिल्माई जाने वाली वन्यजीवन आधारित फिल्में/वृत्तचित्र/दस्तावेज, जिनका उपयोग अनुसंधान, प्रशिक्षण, विस्तार, जागरूकता अथवा संरक्षण शिक्षा प्रयोजन के लिए किया जाना है, की वीडियोग्राफी/फिल्मांकन/फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा दी जा सकेगी, जिसके लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा। समस्त ऐसी फिल्मों पर मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

9. हाथी पर भ्रमण :

- (1) हाथियों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए विहित शुल्क के भुगतान उपरांत एवं संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा निर्धारित मार्गों पर पर्यटक हाथी से भ्रमण कर सकेंगे।
- (2) हाथी पर सवारी आधा घंटे की होगी, जिसके लिए प्रतिव्यक्ति शुल्क रुपये 1,000 होगा। 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को उनके माता पिता/अभिभावकों के साथ निःशुल्क अनुज्ञात किया जाएगा। 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिये शुल्क रुपये 500/- होगा किन्तु सीट की गणना के लिए इसे पूर्ण सीट के रूप में माना जाएगा।
- (3) हाथी पर सवारी हेतु महावत को छोड़कर अधिकतम चार व्यक्तियों को अनुमत किया जाएगा।
- (4) हाथी पर सवारी हेतु संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी अतिरिक्त नियम अधिरोपित कर सकेगा।
- (5) ऐसे कैमरामैन की मांग पर, जिसने कि धारा-8 की उप-धारा (2) एवं (3) के अधीन वीडियोग्राफी/फिल्मांकन/फोटोग्राफी के लिए अनुज्ञा प्राप्त की है, हाथी तीन घंटों के लिये प्रति हाथी निम्नलिखित शुल्क के भुगतान पर दिया जा सकता है। उक्त फिल्मांकन हेतु कैमरामैन के साथ हाथी पर अधिकतम एक सहायक को अनुमति दी जाएगी।

(एक)	भारतीय शैक्षणिक अथवा अनुसंधान संस्थान तथा भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश राज्य सरकार के विभागों और संस्थानों के लिए।	Rs. 6,000/-
(दो)	अन्य सभी व्यक्ति	Rs. 24,000/-

10. नौकायन :

- (1) ऐसे समस्त संरक्षित क्षेत्रों में, जहां उनके जलाशयों/नदियों/जलनिकायों में नौकायन की संभावना हो, नौकायन हेतु नियम तथा विभिन्न प्रकार की नौकायन गतिविधियों के लिए दरें संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाएंगी। ऐसी गतिविधियां मध्यप्रदेश के मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा अनुमोदन के पश्चात् प्रारंभ की जाएंगी।
- (2) केवल राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य में मोटर चलित नौका द्वारा प्रति व्यक्ति प्रति घण्टे नौकायन हेतु रुपये 150/- शुल्क होगा।

11. स्थानीय गाइड एवं पर्यटक सहायक :

(1) पर्यटन तथा फोटोग्राफी/फिल्मांकन के प्रयोजन के लिए संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले समस्त परिदर्शकों के साथ संचालक/क्षेत्र संचालक/वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी अथवा मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्त प्रतिनिधि/पंजीकृत स्थानीय गाइड/पर्यटक सहायक अनिवार्य रूप से होगा। एक स्थानीय गाइड/पर्यटक सहायक वह व्यक्ति होगा जो उस जिले या उन जिलों के निवासी से संबंधित हो और सामान्यतः वहां निवास करता हो, जहां राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य स्थित है।

(2) गाइड/पर्यटक सहायक के लिए न्यूनतम अर्हताएं :—

(क) गाइड श्रेणी जी-1 : 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान, सभी स्तनपायी प्राणियों एवं सामान्य पक्षियों की पहचान, सामान्य वृक्षों की पहचान एवं उनके बारे में रोचक तथ्यों का ज्ञान, राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के वनों के संबंध में सामान्य ज्ञान, वन्य प्राणियों के रास्तों एवं चिन्हों, वन्य प्राणी गणना एवं वन्यप्राणी गणना के आंकड़ों का ज्ञान, विवेचन केन्द्र, पर्यटन नियमों, क्या करें तथा क्या न करें, राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों के भूगोल एवं भू-आकृति का ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा गाइड के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव तथा ईकोटूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित न्यूनतम अर्हता मानदण्डों का पूर्ण करता हो।

(ख) गाइड श्रेणी जी-2 : वन्यप्राणियों का ज्ञान, वन मार्गों का ज्ञान, सामान्य वृक्षों की पहचान एवं उनके संबंध में रोचक तथ्यों का ज्ञान, क्षेत्र के वनों एवं वन्यप्राणियों के विषय में सामान्य ज्ञान, वन्य प्राणी प्रबंधन, वन्य प्राणी के व्यवहार एवं रहवास आदि का ज्ञान, पर्यटन नियमों, क्या करें तथा क्या न करें का ज्ञान, वनों तथा वन्यप्राणियों के बारे में और सीखने हेतु उत्सुकता। तथा ईकोटूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित न्यूनतम अर्हता मानदण्डों का पूर्ण करता हो।

(ग) पर्यटक सहायक : कोई भी स्थानीय व्यक्ति जो संरक्षित क्षेत्र के भीतर ट्रेकिंग, कैंपिंग कर रहे पर्यटकों के साथ पर्यटक सहायक का काम करने हेतु इच्छुक हो।

(3) गाइड/पर्यटक सहायक हेतु शुल्क :—गाइड/पर्यटक सहायक की सेवाएं लेने हेतु निम्नानुसार होगा:—

क्रमांक	श्रेणी	गाइड/पर्यटक सहायक शुल्क (रु.)		
		वाहन से भ्रमण (एक राउंड)	ट्रेकिंग/साइकिलिंग (प्रतिदिन)	कैम्पिंग (दो दिन व एक रात्रि)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	G-1	रु. 600	रु. 1200	रु. 2400
2	G-2	रु. 480	रु. 960	रु. 1920
3	पर्यटक सहायक	—	रु. 600	रु. 1200

टीप : पचमढी के समस्त पर्यटन क्षेत्रों के भ्रमण करवाने हेतु पंजीकृत प्रशिक्षित गाइडों का शुल्क प्रति दिवस 600 रुपये होगा।

(क) पूरे दिन के लिए सेवाएं लिए जाने की दशा में गाइड को ट्रेकिंग/साइकिलिंग हेतु नियत दरों से भुगतान किया जाएगा।

(ख) विशेष दर्शनीय स्थलों पर सेवाएं प्रदान करने वाले गाइड हेतु शुल्क: केन घड़ियाल अभयारण्य के रनेहफाल, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पांडव फाल आदि जैसे स्थानों हेतु जहां कि गाइड की सेवाएं अल्पावधि के लिए ली जाती हैं वहां सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र का प्रबंधक स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर आनुपातिक दरें नियत करेगा।

12. पर्यटन अवधि, क्षेत्र आदि का नियमन :

(1) सामान्यतः वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान, घुघवा, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, रालामण्डल अभयारण्य, सैलाना अभयारण्य, सरदारपुर अभयारण्य, ओरछा अभयारण्य, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव फाल, केन घड़ियाल अभयारण्य में रनेहफाल, पचमढी स्थित दर्शनीय स्थल, चिड़ीखोह (नरसिंहगढ़ अभयारण्य), रातापानी अभयारण्य में भीमबैठका बरूसोत व देलाबाड़ी, मुकुन्दपुर चिड़ियाघर, टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों के लिए कोई बंद अवधि नहीं होगी। संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी की अनुशंसा पर मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक किसी क्षेत्र को वर्षभर खुला रखने हेतु घोषित कर सकेगा। किन्तु ऐसा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक उससे होने वाले संभावित दुष्प्रभावों का आकलन कर ऐसे संभावित दुष्प्रभावों को कम करने हेतु प्रभावी प्रबंधन व्यवस्था नहीं कर ली जाए।

- (2) उपरोक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के अंदर अन्य समस्त स्थानों के लिए 1 जुलाई से 30 सितम्बर के बीच की अवधि में पर्यटन या फोटोग्राफी के लिए प्रतिबंधित अवधि रहेगी और वर्ष की शेष अवधि पर्यटन एवं फोटोग्राफी के लिए खुली अवधि होगी. तात्कालिक मौसम परिस्थितियों एवं अन्य स्थानीय कारकों के आधार पर संरक्षित क्षेत्र को भारसाधक अधिकारी 01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के मध्य सीमित क्षेत्रों, वन मार्गों को पर्यटन हेतु खोलेगा. टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र पर्यटन हेतु वर्ष भर खुले रहेंगे.
- (3) राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के अंदर वाहनों द्वारा भ्रमण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय के आधार पर होगा और तदनुसार परिवर्तित किया जाएगा. प्रवेश एवं निर्गम का वास्तविक समय अधिसूचित किया जाएगा तथा प्रवेश द्वार के सूचना पट पर प्रदर्शित एवं अनुज्ञा पत्रों पर मुद्रित किया जाएगा. टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में अवस्थित पर्यटन जोन में पर्यटक कोर क्षेत्र में पर्यटन जोन हेतु अधिसूचित समय के आधा घंटा पश्चात् आ सकेंगे. सूर्यास्त उपरांत अधिकतम 4 घंटों की अवधि के लिये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल एवं रालामण्डल अभयारण्य, इन्दौर में वाहन सफारी की अनुमति होगी. इस हेतु विस्तृत शर्तें भार साधक अधिकारी निर्धारित करेंगे.
- (4) राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों के अंदर अन्य पर्यटन गतिविधियों हेतु सूर्योदय एवं सूर्यास्त के मध्य का समय क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा विनिश्चित तथा अधिसूचित किया जाएगा.
- (5) स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी किसी दिवस या किसी अवधि हेतु प्रवेश/निर्गम के समय में परिवर्तन कर सकेगा.
- (6) पर्यटन के लिए खुले मार्गों और इन मार्गों पर अनुमत किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों की अधिकतम संख्या स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाएगी.
- (7) यदि आवश्यक हो तो संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी धारा 28(1) के अधीन वर्णित प्रयोजनों के लिए संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कोई क्षेत्रों या मार्गों को बंद विनिर्दिष्ट कर सकेगा.

13. विशेष शुल्क :

किसी संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी को मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक के परामर्श से कम-से-कम दो माह की सूचना देने के पश्चात् पर्यटक यातायात के परिणामस्वरूप वन्य जीवन तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को विनियमित करने के उद्देश्य से लिखित आदेश के माध्यम से किसी संवेदनशील या विशिष्ट क्षेत्रों/मार्गों/गतिविधियों के लिए विशेष दरें अधिरोपित करने का अधिकार होगा.

14. पर्यटन से होने वाली आय का स्थानीय समुदायों के साथ बाँटा जाना :

टाईगर रिजर्व तथा अन्य संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास प्रारंभिक रूप से वन्यजीव संसाधनों के अक्षर उपभोग से अनवरत है और स्थानीय समुदायों को मांसाहारी वन्यप्राणियों के द्वारा पालतु पशुओं के शिकार और जंगली शाकाहारियों द्वारा फसलों के विनाश एवं आय में कमी के रूप में संरक्षण की कीमत चुकानी पड़ती है. एक वर्ष में उस संरक्षित क्षेत्र की विकास निधि में जमा की गई समस्त पर्यटन प्राप्तियों का एक तिहाई उस संरक्षित क्षेत्र की ईको विकास समितियों के साथ बाँटा जाएगा.

15. विविध :

- (1) कोई अन्य पर्यटन सेवा या गतिविधि जो इन नियमों में उल्लिखित नहीं है या उल्लिखित की गई है परन्तु प्रबंधन दृष्टिकोण से अब तक नहीं की गई है, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश की पूर्वानुमति से प्रारंभ की जा सकती है. किन्तु ऐसा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसी गतिविधियों से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों का आंकलन न कर लिया गया हो और उनको नियंत्रित करने हेतु आवश्यक प्रबंधन व्यवस्था नहीं कर ली गई हो.
- (2) संरक्षण संबंधी मुद्दों पर एवं पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों के बीच बेहतर समझ विकसित करने के लिए स्थानीय निवासियों "जंगल वालों के साथ एक शाम" कार्यक्रम के लिए इच्छुक समस्त स्थानीय निवासियों एवं पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा.
- (3) किसी मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों की संख्या, जिसकी धारण क्षमता के आधार पर सीमित कर सकेगा. इसके अतिरिक्त, वह अन्य गतिविधियों जैसे नौकायन, टैकिंग, कैपिंग, हाथी पर भ्रमण, नेचर ट्रेल आदि के लिए पृथक्-पृथक् धारण क्षमता का भी विनिश्चय करेगा.
- (4) वन्यप्राणी संरक्षण या प्रबंधन के दृष्टिकोण से अपरिहार्य परिस्थितियों के अधीन संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति या सभी व्यक्तियों द्वारा प्रवेश भ्रमण अथवा किसी मार्ग या स्थल का उपयोग प्रतिबंधित किया जा सकता है.
- (5) फिल्मांकन, नौकायन, वाहन से वन्यप्राणी दर्शन, हाथी पर भ्रमण, टैकिंग, नेचर ट्रेल, कैपिंग एवं वॉच टॉवर/मचान/ हाइड आदि के उपयोग एवं भविष्य में प्रारंभ की जाने वाली किसी अन्य गतिविधि के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा जारी किए जाएंगे, जो इन नियमों का भाग गठित करेंगे.
- (6) राज्य शासन को विशिष्ट आदेशों के अधीन के सिवाय राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों के भीतर कोई सभाएं, सम्मेलन, बैठक, आदि आयोजित नहीं की जा सकती है. यह प्रतिबंध मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी सलाहकार मंडल, मध्यप्रदेश वन अधिकारियों की बैठकों, वन अधिकारियों एवं वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण एवं प्रबंधन में प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों संबंधित प्रशिक्षणार्थियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम अथवा कार्यशालाओं पर लागू नहीं होगा.
- (7) किसी संरक्षित क्षेत्र में कोई भी विज्ञापन, साइनबोर्ड, बैनर तथा चार्ट, आदि अनाधिकृत रूप से प्रदर्शित करना, चिपकाना या लगाना निषिद्ध होगा.
- (8) कोई भी व्यक्ति किसी संरक्षित क्षेत्र में किसी भी वृक्ष, पुल, चट्टान, बागड़, सीट, नोटिस बोर्ड, कूड़ादान अथवा अन्य किसी भी वस्तु अथवा स्थल पर लिखी गई बात अथवा चिन्ह आदि को नष्ट नहीं करेगा, क्षति नहीं पहुंचाएगा अथवा उसे विरूपित नहीं करेगा.
- (9) पर्यटन और फोटोग्राफी/फिल्मांकन के प्रयोजन से वन्यप्राणियों को देखने के लिए स्पॉटलाइट का उपयोग प्रतिबंधित है.
- (10) प्रवेश अनुज्ञा-पत्र की शर्तों अथवा प्रबंधन द्वारा दिए गए किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया:—
 - (क) किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने पर्यटन के लिए संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया हो और प्रवेश अनुज्ञा की शर्तों अथवा प्रबंधन द्वारा दिए गए किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन किया हो, परिक्षेत्र अधिकारी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी रुपये 2,000/- की क्षतिपूर्ति लेने का हकदार होगा इसके अतिरिक्त सक्षम वन अधिकारी, वन्य जीव

- (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) तथा किन्हीं अन्य विधिक उपबंधों के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर उक्त अधिनियम अथवा किसी अन्य नियम के उपबंधों विधिक कार्यवाही कर सकेगा. संरक्षित क्षेत्र का भारसाधक अधिकारी उसके प्रवेश अनुज्ञा-पत्र की शेष अवधि के लिए उसके प्रवेश को या तो अंशतः या पूर्णतः प्रतिबंधित भी कर सकेगा. ऐसी क्षतिपूर्ति व्यक्तियों से मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा जारी विस्तृत निर्देश के अनुसार वसूल की जाएगी.
- (ख) कैमरामेन अथवा फोटोग्राफी/फिल्मांकन टीम के उसके सहायक द्वारा कोई उल्लंघन किये जाने पर, सक्षम वन अधिकारी द्वारा विधिक कार्रवाई के अतिरिक्त, संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा उसकी अनुज्ञा की शेष अवधि के किसी भाग अथवा पूर्ण अवधि के लिए उसका प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकेगा.
- (ग) पंजीकृत वाहन/नौका के चालक/नाविक द्वारा और उसमें उपस्थित गाइड द्वारा कोई उल्लंघन किए जाने पर, सक्षम वन अधिकारी द्वारा विधिक कार्रवाई के साथ-साथ परिक्षेत्र अधिकारी से अनिम्न श्रेणी का अधिकारी रुपये 2,000/- की क्षतिपूर्ति वसूल करने का हकदार होगा, प्रथम उल्लंघन की दशा में, उनका प्रवेश, साथ ही उनके वाहन/नौका का प्रवेश सात दिन के लिए, दूसरी बार उल्लंघन किए जाने की दशा में, एक मास के लिए और तीसरी बार उल्लंघन किए जाने की दशा में, शेष पर्यटन वर्ष (अगले कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई से 30 जून) के लिए संरक्षित क्षेत्रों में अन्य विधिक कार्रवाईयों के साथ प्रतिबंधित किया जा सकेगा. ऐसे पंजीकृत वाहन/नौकाएं और उनके चालक/नाविक तथा प्रकृतिवादी/गाइड जिन्हें पिछले दो वर्ष के दौरान तीन बार दंडित किया गया हो, संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य में अगले दो वर्ष के लिए प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक व्यक्तियों से ऐसी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिये विस्तृत निर्देश जारी करेगा.
- (घ) कोई आदतन अपराधी या घोर कदाचार अथवा नियमों के भंग में लिप्त कोई व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है.
- (ङ) इस उप-धारा के अधीन किसी व्यक्ति के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया हो.
- (11) दीपावली तथा होली के शासकीय अवकाशों पर समस्त संरक्षित क्षेत्र पर्यटन और वीडियोग्राफी/फिल्मांकन/फोटोग्राफी के लिए बंद रहेंगे. इसके अतिरिक्त ऐसे अन्य दिनों का, जिनको कि पर्यटन और वीडियोग्राफी/फिल्मांकन/फोटोग्राफी के लिए संरक्षित क्षेत्र बंद रहेंगे, विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2021

क्र. एफ-14-82-1988-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के नियम क्र. एफ-14-82-1988-दस-2, दिनांक 18 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 18th August 2021

F-14-82-1988-X-2.- In exercise of the powers conferred by Section (1) and clause (h) of sub-section (2) of Section 64, read with Section 28 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government, hereby, make the following amendments in the Madhya Pradesh Wildlife (Protection) Rules, 1974, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules, for Rule 34, the following rule shall be substituted, namely:-

"34. Entry fee and conditions of entry permit for entry into National Parks and Sanctuaries under Section 28, into buffer areas of tiger reserves and zoo managed by Forest Department under Section 64 (2) (h) :

1. Entry Permit:- (1) No person shall enter any National Park, Sanctuary, Buffer areas of Tiger Reserves or Zoo managed by Forest Deptt., for the purposes mentioned under sub-section (1) of Section 28, without a valid permit issued by Chief Wildlife Warden Madhya Pradesh or by an officer authorized by him for this purpose.

(2) Entry permit is individual, non-transferable and valid for entry for the period mentioned in the entry permit.

2. Exemptions in permit fee for Special Circumstances :- (1) No entry fee shall be charged for entry in National Parks, Sanctuaries, Buffer Areas of Tiger Reserves and Zoo for following purposes, namely :-

- (a) study or investigation of wildlife and its ancillary objectives;
- (b) scientific research;
- (c) transaction of lawful business with any person residing in the National Park or Sanctuary;
- (d) Authorized study tours of the students from recognized educational institutions of the villages situated in the buffer zones of the tiger reserves and within 5 km boundary of National Parks (Other than Van Vihar) and Sanctuaries or the authorized study tours of the members of Eco-Development Committees;
- (e) authorized study tours of the students, trainees, instructors and support staff of training and research institutes of Ministry of Environment and Forest & Climate Change, Government of India or Forest Departments of various States;
- (f) Participants of Anubhuti programme and Mowgli festival during the programme, the winners of wildlife Week programme, one time as a prize;
- (g) Entry of children upto 5 years of age.

2. 50 percent exemption in the regular entry fee shall be given to the students of recognized educational Institutes, not covered under clause (d) of sub rule (1), provided prior intimation is given for such authorized study tours. This facility for students of an institution will be provided only for one round, once during the open period of entire tourism year, that is 1st July-30th June.

3. Chief Wildlife Warden of Madhya Pradesh or the officer in-charge of the protected area /zoo can give full exemption from entry fee to any person or a group under special circumstances, within the limits of maximum carrying capacity.

4. Eligibility and conditions of entry permits for the purposes mentioned in clause (a), (b) and (c) of sub rule (1) shall be ascertained separately by the Chief Wildlife Warden based on the requirements of a particular protected area.

3. Classification and entry fee of protected Areas for the purpose of tourism

- (1) Classification table of Wildlife Tourism Areas

Sr.	Class	Details of protected area included	Class Coefficient/ Table
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Class-1	Tourist zones extended completely in Core areas of tiger reserves including the sanctuaries notified as core and also zones which are partially in core and in buffer areas.	1.6
2.	Class-2	Tourism zone extended completely in buffer areas of tiger reserve and Phen Sanctuary.	0.8
3.	Class -3	Madhav N.P., Gandhisagar, Nauradehi, Ratapani, Kuno Palpur and Kheoni Sanctuary.	0.5
4.	Class -4	(a) Fossil N.P. Ghughuwa, Dinosaurs Fossil N.P. Dhar (b) Sailana, Sardarpur, Ghatigaon, Karera, Ken Gharial, Son Gharial, National Chambal, Narsinagarh, Bagdara Virangana Durgavati, Singhori and Orchha Sanctuary (i) All special sites/view points inside inside in any one of the above categories designated by the authorised officer for tourism purposes.*	0.2
5.	Class -5	Any one special sites/view points inside the Protected Area notified by the Authorised Officer for tourism purposes.	0.1
6.	Class -6	Van Vihar N.P., Ralamandal Sanctuary and Mukundpur Zoo	Table 3(4)

- (a) The rate entry fee for any protected area or zoo, shall be decided by multiplying the rate mentioned in table (a) and (b) of sub rule (2) with coefficient mentioned before the class of particular area in question. The outcome of this multiplication will be rounded off to next multiple of Rs. 5/- (for amount up till Rs. 100/-) Or Rs. 10/- (for amount equal or more than 100/-) or to get the actual entry fee.

- (b) * These rates are for one round and permit will be valid only for a day. For Panchmarhi, tourists may obtain special permit with 3 days validity for visiting all the designated specific sites and view points, by paying double of the rate.

- (2) Entry fee for vehicle based tourism.

(a) Entry fee for Tiger Reserve or other Protected Areas with tourist vehicle which is registered with protected area management.

Sr	Type of permits	Rate (Amount in Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	Single seat permit (Light Motor Vehicle and Mini Bus) .	250
2.	Full vehicle permit (Only Light Motor Vehicle, maximum 6 tourists) .	1500

- (b) Entry fee for tourism by private unregistered vehicle, where such vehicles are allowed by protected area management.

Sr	Type of permits	Rates (Amount in Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	Two wheeler (Scooter, Motor Cycle and other two wheeler motor vehicle, maximum 2 person) .	500
2.	Auto Riksha (maximum 3 persons) .	1000
3.	Light Motor Vehicle (maximum 6 persons) .	1500
4.	Bus/Mini bus .	3000

- (c) The fee mentioned in (a) above is just for entry permit. The vehicle charges for registered tourist vehicle is payable separately to the owner of the vehicle before the trip. Guide fee is also not included in (a) and (b) above, which is payable separately to the guide.

- (d) For the single seat permit mentioned in (a) above, the tourist vehicle charge and the guide fee will be distributed equally amongst the tourists present in the vehicle and will be payable at the time of entry.

- (e) Drivers and guides shall not be counted in the numbers of persons allowed in a vehicle.
- (f) Depending upon the local conditions of the tourism road and to ensure the tourists safety etc. the officer in-charge of the protected area shall decide class/ type of vehicle which may be allowed for entry inside Protected Area for tourism purposes.
- (g) In case of non availability of registered vehicles in sufficient number or due to some other local factors, the park management after issuing an order, can allow the entry of un-registered vehicle for tourism. For the online booked permits, the difference in entry fee shall be payable by the tourists at the time of park entry.
- (h) For the children aged between 5-12 years entry fee for single seat permit shall be half of the fee mentioned in table-(a) of Sub Section (2) of Section 3 a seat will be provided to them in the safari vehicle. Children below five year of age will be entitled for free entry and they will share the seat occupied by their parents.
- (i) If a tourist has permit for complete safari round in either of tourism zone after paying entry fee for a visit by vehicle as per the class-1, class-2, class-3, class-4 (b) he may visit view point/ special site situated within the tourism zone without paying any extra fee. If any tourists want to visit only notified view point/ special site situated inside the protected area then he has to pay the fee as per the class-4(c) / class 5 in above table. Tourist who will take such permits can visit the view point/ special site by the route and time decided by the management.
- (j) The officer in-charge of the protected area, on receiving request from Hotel/ Resort/ Lodge operational nearby the protected area, shall register the naturalist in limited number for the Hotel/ Resort/ Lodge for one year with a registration fee per naturalist Rs 10,000/-and issue an I-card.
- (k) subject to seat availability in registered tourist vehicle, these registered naturalists may enter in tourist vehicle along with the tourists holding valid permit, even if their name is not mentioned on the permit, as an affiliate. In such vehicles the park guides will also be present and render their services as before. Registered Naturalist shall be permitted to (non driving) accompany the tourist in any of the protected areas of the state.

(3) Entry fee for activities other than park safari by vehicle :**(a) Fee Table**

Sr. No.	Purpose of entry	Fee per tourist
(1)	(2)	(3)
1.	Walk/Trekking/ Cycling (on specified routes earmarked by the officer in-charge of the protected area)	Rs. 150
2.	Wildlife Viewing from specified Hide/ Machan/ Watch Tower	To be decided by local management
3.	Camping (Only in the premises earmarked by the officer in-charge of the protected area)	Rs. 750

(b) Entry fee for water safari by powered boat/vessel

S.No.	Type of Permit	Rate (Amount in Rs.)
1.	Single seat permit (power boats/ vessels) for whole day	500/
2.	Single seat permit (power boats/ vessels) for Morning or Evening round	250/-

- (i) The fee mentioned in table (b) above is just for entry permit. The boat/vessel charges for registered tourist boat/vessel is payable separately to the owner/ operator of the boat / vessel before the trip. Guide fee is also not included in table (b), which is payable separately to the authorised guide.
- (ii) Depending upon the local conditions of the tourism waterways and to ensure the tourists safety etc. the officer in-charge of the protected area shall decide class/type of boat vessel which may be allowed for entry inside Protected Areas for tourism purpose.
- (iii) For the children aged between 5-12 years entry fee for single seat permit shall be half of the fee mentioned in table-(b) above and a seat will be provided to them in the safari boat/vessel. Children below five year of age will entitled for free entry and they will share the seat occupied by their parents.
- (iv) The officer in-charge of Protected Area shall designate waterways for tourism purpose and define the n course of operation of boat/vessel. Boarding and de-boarding shall be permitted only on pre designated landing sites as decided by the officer in-charge of the protected Area on request by boat/vessel operator. The boat/vessel shall not be docked in any other place then the designated landing sites.

- (v) The water safari will be permitted for the duration as decided by the Officer in-charge of Protected Areas and he/she shall have full rights to close the area during the nesting and breeding season of aqua fauna or for any other management reasons.
- (vi) carrying capacity of waterways, number of trips, duration of the trip, timing of the trips, minimum distance from the bank, maximum number of tourist permitted in the boat/vessel and time difference between operation of two boats/vessels etc. shall be decided by the Officer in-charge of the Protected Areas in consultation with Chief Wild Life Warden.
- (vii) The indemnity bond shall be signed by all visitor/tourist onboard and shall have to follow all the do's & don'ts related instructions, prescribed by the Protected Area Management. Every tourist onboard shall have to wear life jackets during the water safari and follow all the safety instructions and regulations. In any case playing of music, feeding of wildlife & fishes etc., use of loud speaker and any kind of waste disposal in water body or any activity which can cause disturbance and adverse impact on the flora and fauna shall be strictly prohibited.
- (viii) No person onboard shall carry any dangerous goods or fire arms or decayed food stuffs or any other offensive articles on boat/vessel and consumptions of alcohols or any other intoxicating substance shall be strictly prohibited during water safari.
- (ix) All tourists/officials/ staff/guide etc. onboard shall have a valid I-D proof. along with entry permit and which they must produce to Protected Area Officials upon being asked.

(4) Entry fee for Van Vihar National Park, Ralamandal Sanctuary and Mukundpur Zoo.

(a) Fee Table

		(Amt. in Rs.)
Sr	Purpose of visit	Entry Fee for Tourists
(1)	(2)	(3)
1.	Visit by walk	20/-per person
2.	On Bicycle (One person)	30/-per Bicycle
3.	Two wheelers (maximum 2 persons)	60/-per motor vehicle
4.	Auto Rikshaw (Maximum 4 person including driver)	120/-per vehicle
5.	Light Motor Vehicle (Upto 5 person capacity)	250/-Per Vehicle
6.	Light Motor Vehicle (More than 5 person capacity)	400/- Per Vehicle
7.	Mini bus (upto 20 person capacity)	1000/-Per Vehicle

(1)	(2)	(3)
8.	Bus (more than 20 person capacity)	2000/-Per Vehicle
9.	Safari by management vehicle or visit by Golf cart	50/-per person and entry fee
10.	Safari Post Sunset	Tourist above 12 years of age. 200/-per person Tourist between 5-12 years. 100/-per person Children below 5 years of age. Free

(b) The above mentioned rates are generic rates for class six areas. The officer in-charge of protected. area/ zoo will decide that what activities are feasible in their area and accordingly take entry permit fee to issue entry permit for feasible activities.

(c) The fee per vehicle, mentioned on sr. 2-8 is inclusive of entry fee for the tourists. The number of tourists present in the vehicle shall not be more than the registered passing capacity of the vehicle.

(d) The safari fee mentioned on sr. 9 is excluding of entry fee mentioned w.r.t. 1-8.

(e) Minimum number of tourists, required for safari vehicle to operate, will be decided by the management. In case of insufficient number of tourists available for Safari, the willing tourists may avail the Safari by paying the fee for minimum required persons.

(5) Park visit, for limited period and routes decided by the management, on daily basis. Monthly /yearly/ rife time entry fee for entry by walk or by bicycle, in Van Vihar National park/ Ralamandal sanctuary.

Sr. No.	Mode of entry	Monthly Fee	Annual Fee	Life time	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	by walk	Rs.300	Rs.3000	24000	Per person. Regular entry pass will be issued by the Director or an officer. authorized by him for this purpose.
2.	Bicycle	Rs.450	Rs.4500	Rs.30000	

(6) As per the peculiarities and local conditions of the area, the officer in-charge of the protected area shall decide the suitable activities for the area from the above mentioned activities and operate the same. He may also include any new activity for tourist. To introduce any new activity he shall, after deciding the area and fee of the activity, take approval from the PCCF (Wildlife) and Chief Wildlife Warden.

- (7) Tourism entry fee mentioned in all the above tables are for Indian tourists. For vehicle safari in tourism areas classified as class-1 area' the tourism entry fee for the foreign tourists, will be double of fee decided for Indian tourists.
- (8) For every tourism year, the CWLW before the start of online booking of entry permits shall declare the premium days for wildlife tourism. During the premium days, for vehicle safari in tourism areas classified as class-1 area, the class coefficient for Indian and Foreign tourists will be 2 and 4 respectively. The single seat permit fee for this duration will be 1/6th of the above.

4. Issuing of online permits :

- (1) For those protected areas where the number of vehicle permits available for daily issuing is fixed as per the tourist carrying capacity calculation, the total number of daily available permits will be available online/ tourist gate as per the following percentage. Figures will be rationalize to obtain the actual number of permits as per the percentage :

Single Seat permit (Online)	Single seat permit (at the tourist gate)	Field Dir. Quota	Full vehicle permit (Online)
(1)	(2)	(3)	(4)
10%	10%	10%	Rest of the Permits

- (2) For those tourism areas where tourist carrying capacity and upper limit of permits to be issued daily is not decided, chief wildlife warden may decide the carrying capacity of such areas. The officer in-charge shall decide the number of permits available for online bookings.
- (3) At the tourist gate permit will be available 5PM onwards, a day before the safari date. The actual time of booking shall be decided by officer in-charge of the protected Area.
- (4) Confirmed single seat permit holders have to arrive at the assigned entry gate half an hour before the entry time and show their permit and ID Card at the counter. If they fail to reach half an hour before the entry time, their permit will be considered automatically cancelled. such permit will be available for booking as single seat permit at the entry gate.
- (5) Full vehicle permit holders tourists, may arrive till one hour after the entry time during morning safari and till half an hour after the entry time during evening safaris, have to show their permits and ID card at the gate. If they fail to arrive by this time, their permit will be considered automatically cancelled and such permit will be available for booking as single seat permit at the entry gate. For such available permits tourists may enter the park up till next 30 minutes. other than the condition when the permit is issued after any pre-booked permit holder failed to arrive on time, generally tourist should not be allowed one hour after the park entry time.

- (6) It shall be compulsory to keep any valid identity proof (Adhar card, Passport, Driving license, PAN card, Voter ID, any other ID issued by central of State Govt., I card issued by School/ College) for all Indian visitors listed in the entry permit. Entry permit will be cancelled if the identities of the persons mentioned in entry permit cannot be ascertained.
- (7) It shall be compulsory to keep Passport as their identity proof for all foreigners listed in the entry permit. Entry permit will be cancelled if the identities of the persons mentioned in entry permit cannot be ascertained.
- (8) Under the online booking system, once the all the available full vehicle permits will be booked for the particular tourism area, wait list permits will be issued online in limited numbers (10% of online permits, after rationalisation), for the willing tourists. Wait list permits will be confirmed on priority in the case of cancellation of confirmed permits. If the wait list permit not get confirmed 5 days before the Safari, it will automatically get cancelled and entry fee charged for booking will be refunded after deducting the portal fee.

5. Add on facility :

- (1) For those protected areas where online permits bookings facility is operational, for already booked full vehicle permit, the names of visitors can be added online, upto the maximum capacity of the vehicle, with following conditions :
 - (a) Minimum two tourists names are mentioned in the originally booked permit.
 - (b) At least two tourists, on whose names original permits were booked, have to be present during park visit, otherwise the permit will be considered cancelled.
 - (c) The provision mentioned in clause (b) will be applicable to only those permits where it carries both type of tourist, originally booked and added using this facility. Those permit where add on facility is not availed, if first two or any other tourist is absent at the time of safari, the permit will hold and the other present tourist may go for safari.
 - (d) only in one go, upto four add on tourists names can be added into the permit. For such addition, an extra fee equal to the cost of one permit, i.e. Rs. 1,500/- for core areas of tiger reserve and for other areas based on table (1) of sec. 3 and table (a) and (b) of sub section 2 of section 3, will be payable.
 - (e) Add on facility can be availed only on permits issued after seven days from the start of booking for a particular Safari day. Add on facility can be availed on the permits 30 days before the Safari date.
 - (f) Add on facility shall not be used after availing the rescheduling facility.

6. Cancellation/ Rescheduling of entry permit :

- (1) In tourism areas where carrying capacity is fixed, tourist may one time re-schedule their travel date and tourism zone (of the same protected area) on their online booked safari permit subject to availability or cancel. For such cancellation/ re-scheduling they have to pay charges prescribed in following table.

(2) Table

Sr	Details	Amount refunded after cancellation	Amount charged for re-scheduling
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Cancellation/Re-scheduling of permit 30 days or before Entry/ Safari date.	Complete amount of permit fee after deducting portal fee.	Only portal fee.
2.	Cancellation/Re-Scheduling of permit between 29 to 15 days prior to Entry/ Safari	Rest of amount after deducting 50% permit fee and portal fee	50% of permit fee and portal fee.
3.	Cancellation of permit between 14 to 5 PM a day prior to Entry / Safari date.	Rest of amount after deducting 75% permit fee and portal fee.	75% permit fee + portal fee.

- (3) The online booked permits, if cancelled/ rescheduled 5 days or before the safari, the permit will be available online for booking by other tourists. In case of permit cancellation/rescheduling of permit 5 or less days before the safari uptill 5 PM a day prior to the safari date, the permit will be available at Field Director quota for booking. After 5 PM, a day prior to the Safari date cancellation/ re scheduling will not be possible.
- (4) If cancellation facility is availed after re-scheduling, refund amount post cancellation will be calculated as per the applicable percentage of original permit fee [For Core areas of Tiger Reserve Rs. 1500 /- or for other areas fee decided as per table (1) and (2) of sub section (3)].
- (5) If cancellation is availed after availing the add-on facility, refund amount post cancellation will be calculated as per the applicable percentage of original permit fee + add-on fee [For Core areas of Tiger Reserve Rs. 3000/-or for other areas fee decided as per table (1) and (2) of sub section 3].
- (6) If re-scheduling is availed after availing the add on facility, re scheduling fee will be

calculated as per the applicable percentage of original permit fee [For Core areas of Tiger Reserve Rs. 1500/-or for other areas fee decided as per table (1) and (2) of sub section 3].

7. Regulation of vehicles entry inside the protected area for tourism

- (1) The officer in-charge of protected area shall register the vehicle for the tourism purposes inside his protected area for one tourism year. He will decide the minimum eligibility standard for the vehicles and drivers depending upon the topographical peculiarities, tourism needs and other local factors of the area. He may restrict the entry of certain class of vehicle.
- (2) The officer-in-charge of the protected area depending upon the tourist carrying capacity, visiting trend of tourist in the area, availability of new tourism zone and after discussion with stakeholders, shall decide the number of registered vehicles. If the present number of tourist vehicle is less than such decided number then new tourist vehicle may be registered. If present number of tourist vehicle is more than such decided number then all vehicle may be registered.
- (3) All registered vehicle will operate under a roster system. The roster system will be managed by the association of tourist vehicle, registered before the officer-in-charge of the protected area or by the procedure decided by the management of the protected area depending upon local conditions.
- (4) The tourist bus operated by Madhya Pradesh Tourism or any tourist vehicle operated by the park management will be not be part of roster system.
- (5) The vehicle heir charges, for the registered tourist vehicle used for park visit from the entry gate, shall be paid by the tourist. The hiring fee for such visit shall be decided by the officer in-charge of protected area after considering the length of road in tourism zone, safari duration and topography of the area and taking applicable rates notified by Madhya Pradesh Tourism as a base.
- (6) If any tourist/ group of tourist wish to visit the park by a registered tourist vehicle other than the registered vehicle allotted to him through the roster then he has to pay the 70 % of the applicable vehicle hire charges as compensation to the roster vehicle. After receiving such compensation the vehicle will be considered non-available till the completion of roster and once the roster will get completed the particular vehicle will again the available in the roster.
- (7) The vehicle owners, willing to register their vehicle for tourism activity inside the Protected Area, firstly get the pollution check (PUC) and fitness report of the vehicle from the RTO. The officer-in-charge of the protected area or his representative or committee constituted by him, every year before the beginning of the tourism season, shall check all such vehicles and their documents. Those vehicles that qualify the minimum eligibility standards and found suitable for operating inside the protected area shall be registered by the officer in-charge of the protected area as tourist vehicle.
- (8) For all registered vehicle a registration fee of Rs. 2,000/-will be payable. Such fee will be deposited in the park development fund of the protected area.

- (9) To ensure safe driving, during tourism time inside the protected area photography will be prohibited for the drivers of registered park vehicles.
- (10) In case of violation of conditions of any Rule or Act enforced in the tourism area by the owner/ driver of the registered vehicle, the officer-in-charge of the protected area may cancel the entry permission/ registration of registered tourist vehicle for certain period or may imposed the compensation.
- (11) Patrol or Diesel vehicles those who qualify the normative standards set by CWLW may be registered as a tourist vehicle. All such tourist vehicles will be eligible for registration for 10 years from the original year of the registration.
- (12) (a) Regulation of boats/vessels inside the protected area for tourism-**
1. The officer in-charge of the Protected Area will register boat/vessel for the tourism purposes within jurisdiction of his/her protected area for 5 tourism years. He/ She will decide the minimum eligibility standards for the boat/vessel keeping following guidelines in mind;-
 - (I) The maximum permitted capacity of boat/vessel shall not be more than 50 persons.
 - (II) Number of boats/vessels not more then the carrying capacity of the water ways as determined by him shall be registered for tourism purposes.
 - (III) The Powered boat/vessel shall be built as per the IRS norms or IACS/ISC norms and which shall be certified by concerned regulatory authority or Naval Architect registered with MMD or State Maritime Department.
 - (IV) The Powered boat/vessel shall be pollution free and no discharge from the boat/ vessel should be spilled/ dumped into the Water or near the surroundings.
 - (V) The storage of the fuel and oils will not be permitted on the forest land.
 - (VI) Along with minimum standards of the boat/vessel it shall be compulsory to have first-aid box with standard supplies, rescue tubes specifically developed for on-water rescue, onshore communication devices, fire extinguisher and all necessary safety gears should be available on the boat/vessel.
 2. The registration of boat/vessel will be two stage processes. The detailed process, format for application, application fee and registration fee etc. will be as decided by the State Government, which will be in line with guidelines given below:
 - (i) The Officer in-charge of the Protected Area will issue notice for inviting investors for registration of boat/vessel in specified water bodies. The notice shall be

published through advertisements in newspaper and general notice in public domain.

- (ii) Willing applicants can apply for intention to invest in the prescribed format along with requisite documents and application fee as decided by the State Government.
- (iii) The Officer in-charge of Protected Area or committee constituted by him/her for scrutiny shall scrutinize the applications received. In case of eligibility, applicant will be issued a letter of acceptance in the prescribed format. Upon issuance of letter of acceptance applicant will have to make available boat/vessel as per minimum prescribed standards and details of requisite certified staff and operation and safety gears etc. within a time frame of one year from issuance of letter of acceptance. The applicant shall also submit within above specified period all the necessary licenses and pre requisite certificates to run the boat/vessel.
- (iv) On submission of documents as mentioned in (iii) above, the Officer in-charge of Protected Area shall scrutinize the documents. If all conditions required for registration are satisfied then the officer in-charge of protected area will issue license after taking prescribed license fee for 5 years, subject to the condition the boat / vessel is found fit for operation in inspection before every tourism season.
- (v) The registration of boat/ vessel can be renewed after initial 5 tourism years by submitting renewal application in format as decided by Officer in-charge of the Protected Area along with requisite fee. The application for renewal of registration shall be submitted at least 30 days before the registration expires. The Officer in-charge of the Protected Area after assessing fitness condition of boat/ vessel and other necessary conditions as required, if finds it in order then after taking necessary renewal fees, will renew the registration for next 3 tourism years, subject to condition that boat/vessel is found fit for operation before every tourist season. The subsequent renewal after first renewal will be given for one tourism year after following the same procedures as applicable for first renewal.

3. Conditions of Registrations:- The license shall be issued on following conditions:-

- (i) The boat/vessel owners/operators and its employees shall at all times follow strictly Wildlife (Protection) Act, 1972, other relevant Acts and Rules, provisions made therein and do's and don'ts as prescribed by Protected Area Management.
- (ii) All boat/ vessel unit owners/operators will have to adhere to the minimum standards as regard to infrastructure equipments/accessories, owners/operators qualifications and guidelines for water sports operations as defined by NIWS or equivalent agency.
- (iii) The owners/operators must have valid certification from NIWS or any corresponding institution recognized by the Government of India, for the activities that his employees are involved with.

- (iv) Procured new equipments of all Boat/Vessel by unit owners / operators must have certification for design as well as manufacture from a certification agency such as India Register of shipping (IRS). Existing equipments should have a similar certification from certified Marine Architect for serviceability and inland water worthiness.
- (v) owner/operator must get insured tourists against any mishaps, injuries, death(s) or any other harm caused during the Water Safari.
- (vi) The carrying capacity of the boat/vessel and registration number of the boat / vessel must be clearly displayed so that it can be seen easily by the passengers as well as Officials of the Protected Area.
- (vii) The buoyancy aids must be available in sufficient numbers and in different sizes so that they will fit tourists of all sizes and age groups.
- (viii) A first-aid box with standard supplies and rescue tubes, specifically developed for on water rescue should be on the boat/vessel in sufficient number and they should be periodically checked and updated.
- (ix) The hire charges, for the registered tourist boat/vessel used for water safari from the designated entry landing site, shall be paid in advance by the tourist. The hiring fee for such visit shall be decided by the officer-in-charge of protected area after considering the length of water safari in tourism zone, safari duration and taking applicable rates notified by Madhya Pradesh Tourism as a base.
- (x) The officer-in-charge of the protected area or his representative or committee constituted by him, every year before the beginning of the tourism season, shall check the fitness of all the boats/vessels and the minimum eligibility standards for the boats/vessels and drivers, before permitting them to run as tourist boat/vessel.
- (xi) Owner/Operator or his employees will not make any alterations, additions or enlargement of the boat/vessel without prior permission of officer-in-charge of protected area.
- (xii) All owners/operators will make available to officer-in-charge of Protected Area, statistics in format as prescribed by officer-incharge of the protected area regarding Indian and Foreign tourists serviced by them during last month on 5th of every month.
- (xiii) Boat/Vessel owners/operators will have to employ not less than 70% of the total employment from the local community for running the services.
- (xiv) No person with criminal records shall be employed in operation of boat/vessel.
- (xv) Owner/ Operator/ staff/ driver etc. of boat/ vessel must have the requisite qualifications such as Life Saving Techniques, Power Boat/Vessel handling, CPR, first-aid training and other necessary certification from National Institute of Water Sports (NIWS) or similar recognized institutions.

- (xvi) The owner/operator of any boat/vessel shall be responsible for safety and conduct of tourists in his boats/vessels.
- (xvii) No boat/vessel shall exceed the safe speed limit as specified by the Officer-in-charge of the protected area and also it should not stop the boat/vessel during the water safari so as the minimum prescribed distance between the 2 boats/vessels is maintained.
- (xviii) The boat/vessel must have an efficient water pump or bailer.
- (xix) No boat/vessel may carry more persons than the maximum allowed in the boat/vessel registration.
- (xx) No boat/vessel shall be driven in reckless or irresponsible manner and shall not over take or navigate in such a way that its slipstream is dangerous to any other boat/vessel.
- (xxi) The storage of fuel and oil will not be permitted within a boundary of forest areas.
- (xxii) No person may board/deboard a boat/vessel while it is in a motion.
- (xxiii) The Powered boat/ vessel shall be pollution free and no discharge from the boat/vessel should be spilled/ dumped into the Water or near the surroundings and boat/vessel must be fitted with efficient silencers.
- (xxiv) During the water safari no damage or disturbance shall be caused to any plants, birds or wildlife.
- (xxv) The Officer-in-charge of the protected area or any other officer of the protected area shall have the right to enter and inspect boat/vessel.
- (xxvi) In case of any accident / unpleasant incident the unit owner/operator will immediately inform the same to the local district administration, police station and official of the protected area by using fast communication mode.
- (xxvii) The officer-in-charge of the protected area may cancel entry permission/ registration of registered tourist boat/vessel for certain period or permanently or/ and may impose the compensation, in case of violations of conditions of registration or any rule or act enforced in the water safari by owner/operator or its employees.
- (xxviii) The officer-in-charge of the protected area may also cancel the entry permission and registration of boat/vessel in following conditions:-

- (a) the owner/ operator of the boat/vessel Unit has been convicted under Chapter 14 & 16 of the Indian Penal Code or the rules made there under, or of hoarding or smuggling or profiteering or food adulteration or of any law pertaining to prevention of corruption and if a period of 2 years has not elapsed from the date of such conviction.
- (b) the owner/operator of boat/vessel unit is declared insolvent by any competent court and the same has not been redeemed.
- (c) the owner/operator or the guide or the driver of boat/vessel does not possess qualifications as statutorily required.

8. Rates for filming/ Videography/ Photography:

- (1) Visitors are permitted to use their still or video cameras, free of cost during normal safari rounds. Tourists are allowed to use their mobile phones or similar equipment for photography. It will be mandatory for them to keep their phones in silent mode during safari. officer in-charge of Protected Area may impose additional rules in this regard.
- (2) Permission for special filming/ Videography/ Photography in the protected area shall be given by the Field Director in the name of the cameraman. Fee shall be based on following table:-

Duration	Indian Educational/ Research Institutes; Departments and Institutes of Government of India and State Government of Madhya Pradesh	others	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
First 7 days	Rs.10000	Rs.40000	The fee mentioned is on per day basis. The cameraman should deposit the complete fee in advance-
8 th to 15 th day	Rs. 7500	Rs.30000	
16 th to 30 th day	Rs. 5000	Rs.20000	
31 st day to 120 day	Rs. 4000	Rs. 5000	

Note : State Govt. may fix the fee for live telecasts.

- (3) To decide the filming/ Videography/Photography permit fee for any protected area or zoo, the coefficient mentioned before the class of particular area in question in table sub section (1) of Section-3 will be multiplied with rates mentioned in Sub Section (2) of Section 8. For the class six areas coefficient as per class five will be used. The outcome of this multiplication will be rounded off to Rs. 10/-or its multiple to get the actual permit fee.
- (4) The rates mentioned in sub section (2) of Section-8 shall be applicable only if permission is asked for filming/ videography/ photography beyond the time and away from the routes for ordinary tourists. This fee shall be payable in advance for the entire period of Videography/ filming/photography. This permission shall generally be issued for the open season and it can be in parts also. With the prior permission of Chief Wildlife Warden, permission for entry for the purpose of photography/ filming for special reasons can be issued during the closed period also.

- (5) Cameraman means a person in whose name the filming/videography/photography permission has been issued. At the most 3 persons can be permitted with him to assist him, but they will not have permission for photography/filming. This team of 4 persons will not be required to pay any entry fee separately.
- (6) Permission for Videography/ Filming/ Photography in a National Park or Sanctuary shall ordinarily be given only for recording the natural beauty, wildlife or natural history of the area. However, the Government may permit such work for any other reason, under special circumstances, provided it does not adversely impact the ecology or wildlife of the area. Such permission shall be charged at special rates, which shall in no case be less than five times the rate prescribed under Sub Section-3 as the case may be.
- (7) Permission for Videography/ Filming/ Photography of wildlife based Film/ documentary/documents made by the forest department, or filmed through other persons or institutions that will be used for research, training, extension, awareness or conservation education purpose, can be given by the Chief Wildlife Warden for which no fee shall be charged. Copyright of all such films shall be reserved with the Chief Wildlife Warden, Madhya Pradesh.

9. Elephant Rides:

- (1) Subject to availability of elephants, tourists may go for elephant safari after paying the prescribed fee and on the routes decided by the in-charge officer of protected area.
- (2) Elephant ride will be for half an hour for which per person fee will be Rs. 1,000/ Children up to 5 years of age shall be allowed free, along with their parents/guardians. Fee for the child between 5-12 year will be half i.e. Rs. 500/-, but But for the calculation of seat, it will be considered as a full seat.
- (3) Maximum four persons shall be allowed to sit on an elephant, excluding Mahout.
- (4) The officer-in-charge of Protected Area may impose additional rules for Elephant ride.
- (5) on the demand of the cameraman, who has taken permission for Videography/ Filming/ Photography under Sub-Section (2) and (3) of Section-8, if available, the elephant can be given for three hours, on payment of following fee per elephant. For such filming, maximum one assistant will be allowed on elephant with cameraman.

(i)	For Indian educational or research institutes and Departments and Institutes of Government of India and State Government of Madhya Pradesh	Rs.6000/
(ii)	All others	Rs.24000/-

Boating:

- (1) In all the protected areas, where there is the potential for boating in their reservoirs/ rivers/waterbodies, rules for boating and the rates for different types of boating activities shall be decided by the officer in-charge of the protected area. such activities shall be started after approval by the Chief Wildlife Warden of Madhya Pradesh.
- (2) Only in National Chambal Sanctuary, the fee of boating by motor boat shall be Rs.150 per person per hour.

11. Local Guide/Tourist assistant :

- (1) All Visitors entering the protect area for the purpose of tourism and photography/ filming shall be accompanied compulsorily by a nominated representative/registered local guides/tourist assistant licensed by the Director/Field Director/Officer in-charge of a forest circle, or by any other officer authorized by the Chief wild-life warden. A local Guide/tourist assistant shall either be a person who belongs to and is ordinarily resident in the district or districts in which the national park or the sanctuary is situated.
- (2) **Minimum Qualifications for Guides/Tourist assistant :**
- (a) **Guide category G-1 :** Class 12th pass, working knowledge of English, identification of all mammals and common birds, identification of common trees and knowledge of interesting facts about them, general knowledge about forests of the National Park/Sanctuary, knowledge of animal tracks and signs, wildlife census and census figures, knowledge of interpretation centre, tourist rules, do's and don'ts, geology and geomorphology of the National Park/Sanctuary, certificate of first aid and a minimum experience of 3 years as a guide.
- (b) **Guide category G-2 :** Knowledge of wildlife, knowledge of forest roads, identification of common trees and knowledge of interesting facts about them, general knowledge about the forests and wildlife of the area, knowledge of wildlife management, animal behavior, habitat etc., knowledge of tourist rules, do's and don'ts, eagerness to learn more about forests and wildlife.
- (c) **Tourist assistant :** Any local person willing to work as tourist assistant with tourists who are trekking or camping insight protected area.
- (3) **Fees for Guides/ Tourist assistant :** Fee for hiring guide/tourist assistant shall be as follows

Sr. No.	Category	Guide/ Porter Fee (Rupees)		
		Excursions in Vehicles (one round)	Trekking/ Cycling (per day)	Camping (two day and one nights)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	G-1	Rs. 600	Rs. 1200	Rs. 2400
2	G-2	Rs. 480	Rs. 960	Rs. 1920
3	tourist assistant	-	Rs. 600	Rs. 1200

- (a) In case when engaged for the whole day guides shall be paid at the rates for trekking/ cycling.

- (b) **Fees for Guides engaged at special scenic spots:** For places such as Raneh Falls of Ken Gharial Sanctuary, Pandav Falls of Panna National Park etc., where the guides are engaged for a shorter duration, the respective protected manager shall fix the proportional rates based on local conditions.

12. Regulation of Tourism period, area :

- (1) Ordinarily there shall be no closed period for Van Vihar National Park, Madhav National Park, Fossil National Park Ghughwa, Dinosaur Fossil National Park, Ralamandal Sanctuary, Sailana Sanctuary, Sardarpur Sanctuary, Orchha Sanctuary, Raneh Falls of Ken Gharial Sanctuary, Pandav Falls of Panna National Park, Tourist spots of Pachmarhi, Chidikhoh (Narsinagarh Sanctuary), Bhimbathika, Barrusot and Delawadi in Ratapani Sanctuary, Mukundpur Zoo, Buffer areas of Tiger Reserve. CWLW, on the recommendation by the officer in-charge of protected area, may declare any area to be opened all year round but this will not be done until the adverse impacts of such have been assessed and effective management system has been put in place to mitigate such adverse impacts.
- (2) Except above, for all the other places inside National Parks and Sanctuaries, period between 1st July and 30th Sept. shall be the prohibited period for tourism or photography and the rest period of the tourism year shall be the open period for tourism and photography. The officer in-charge of protected area, depending upon the prevailing weather conditions and other locality factors, shall open limited areas/forest roads for tourism between 1st to 15th October. Buffer areas of Tiger Reserves will remain open for tourism activities throughout the year.
- (3) Excursions by vehicles inside National Park/Sanctuary shall be based on the timings of sunrise and sunset and shall be modified accordingly. Actual entry and exit times shall be notified and placed on the notice board at the entry gate and printed on the permits. In the tourism zone situated within the buffer area of tiger reserves, tourist may come half an hour after the time notified for tourism zone in core area. After the sunset, maximum for 4 hours vehicle safari will be allowed inside Van Vihar National Park, Bhopal and Ralamandal Sanctuary, Indore. Officer-in-charge shall finalize the detailed conditions for the same.
- (4) For other tourism activities inside National Park/Sanctuary timings, between sunrise and sunset, shall be decided and notified by the officer in-charge of the area.
- (5) Depending upon the local conditions the officer in-charge of the protected area may change the entry/exit timing for a day or for a duration.
- (6) Routes open for tourism and maximum number of vehicles of various types to be permitted on these routes shall be decided by the officer in-charge of the protected area according to local circumstances.
- (7) If required, the officer in-charge of the protected area can specify any regions or routes closed for specified period for the persons entering the PA for the purposes mentioned under Section 28 (1).

13. **Special Fees** : The officer in-charge of a protected area shall have the power to impose special rates, for any sensitive or premium areas/routes/activities, through a written order, in order to regulate the impact on wildlife and environment resulting from the tourist traffic, after giving at least two month notice, in consultation with the Chief Wildlife Warden.
14. **Sharing of tourism income with the local communities** : Since the tourism in and around tiger reserves and other protected areas is sustained primarily from the non-consumptive use of wildlife resources and the local communities are the ones that bear the cost of conservation in terms of lost incomes, cattle depredation by carnivores and crop damage by wild herbivores; one third of all tourism receipts deposited in the development fund of that protected area in a year shall be shared with the Eco Development Committees of that protected area.
15. **Miscellaneous** :
 - (1) Any other tourism service or activity, not mentioned in these rules, or has been mentioned but not yet started from the management point of view, can be started with the prior permission of the chief wildlife warden, Madhya Pradesh. But this will not be done until the adverse impacts of such activities have been assessed and effective management system has been put in place to mitigate such adverse impacts.
 - (2) Free entry will be given to locals and all willing tourist for the "An evening with Junglewala", a programme initiated to develop better understanding about the conservation related issues among the locals and also the tourists.
 - (3) The chief wildlife warden shall limit the number of vehicles entering a protected area, on the basis of its carrying capacity. In addition, he shall also decide the separate carrying capacities for other activities such as boating, trekking, camping, elephant ride, nature trail etc.
 - (4) The entry/excursion or the use of any route or place by any person or by all persons can be prohibited by the officer in-charge of the protected area under unavoidable circumstances from wildlife conservation or management point of view.
 - (5) Detailed guidelines for filming, boating, wildlife viewing by vehicles, elephant rides, trekking, nature trail, camping and use of watch tower/hides/machans etc. and any other activity which can be started in future, shall be issued by the chief Wildlife Warden, which will form part of these rules.
 - (6) No conferences, gatherings, meetings etc. can be organized inside National Parks/ Sanctuaries except under specific orders of the Government. This restriction shall not apply to the meetings of the Madhya Pradesh state Wildlife Advisory Board, meetings of Forest officers of Madhya Pradesh, training programs or workshops for Forest Officers and trainees belonging to institutions imparting training in forest and wildlife conservation and management.

- (7) Unauthorized display, sticking or pasting of advertisements, signboards, banners and charts etc. in any Protected Area shall be prohibited.
- (8) No person shall destroy, damage or deface any writing or signs etc. on any tree, bridge, rock, fence, seat, notice board, trash box or any other article or place, in any Protected Area.
- (9) Use of spot lights to see wildlife for the purposes of tourism and photography/filming is banned.
- (10) Procedure for action against any person who violates any condition of entry permit or any instruction issued by the management.
 - (a) Officer not below the rank of Range Officer shall be entitled to recover compensation of Rs. 2000/- from any person who has entered the protected area for tourism, and has violated any conditions of entry permit or instructions given by the management, besides this competent forest officer may take legal action as per Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and any other legal provisions, against any such person who has violated provisions of the said act or any other rules. Officer in-charge of the protected area can also ban his entry for the remaining period of his entry permit, either in part or in full. Such compensation will be recovered from the person as per the detailed instructions issued by the CWLW.
 - (b) For any violation by the camera man or his assistant of the photography/filming team, in addition to the legal action by the competent forest officer, their entry can be banned for the part or full period of the remaining permission period by the officer in-charge of the protected area.
 - (c) For any violation by the driver/ boatman of the registered vehicle/boat and the guide present in it, along with the legal action by the competent forest officer, officer not below the rank of Range Officer shall be entitled to recover compensation of Rs. 2000/- and their entry, as well as the entry of their vehicle/boat for seven days in the case of first violation, for one month in the case of second violation and in the case of third violation their entry for the rest of the tourism year (1st July to 30th June next calendar year), be prohibited inside the protected area in addition to other legal actions. Registered vehicles/boats and their driver/boatman and naturalist/guide who have been punished thrice during the previous two years, can be banned from entering the National Park or sanctuary for next two years by the officer in-charge of the protected area. CWLW will issue detailed instructions to receive such compensation from the person.
 - (d) Any habitual offender or a person involved in any gross misconduct or breach of rules can be barred from entering the National Park or sanctuary by the officer in-charge of the protected area.

- (e) No action of barring the entry of a person under this sub-rule shall be taken unless a proper opportunity of hearing has been given to the affected person.
- (11) All protected areas will remain closed for tourism and videography/filming/photography on the Government holidays of Dipawali and Holi. Besides this, the other days on which protected areas will remain closed for tourism and videography filming/photography will be decided by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Officer on Special Duty.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2021

एफ-14-82-1988-दस-2.- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 28 के साथ पठित धारा 64 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 के नियम 34 (असाधारण मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 29 मई 2018 द्वारा संशोधित एवं प्रकाशित) के निम्न उपनियमों को संशोधित किया जाता है।

1. उप नियम-2 : विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत अधीन प्रवेश फीस में छूट के अंतर्गत 2(1)(घ) में वाक्यांश (वन विहार के अतिरिक्त) जोड़ा जाता है. संशोधन उपरांत नवीन प्राक्धान निम्नानुसार होगा :-

उप नियम-2(1)(घ) टाईगर रिजर्व के बफर जोन में और राष्ट्रीय उद्यानों (वन विहार के अतिरिक्त) एवं अभयारण्यों की 5 किलोमीटर की सीमाओं के भीतर स्थित ग्रामों के मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के छात्रों की प्राधिकृत अध्ययन यात्राएं अथवा इको विकास समितियों के सदस्यों की प्राधिकृत अध्ययन यात्राएं;

2. उप नियम-3 : पर्यटन प्रयोजनों हेतु क्षेत्रों का वर्गीकरण एवं प्रवेश फीस के अंतर्गत उप नियम-3(2)(ट) के अंतर्गत वाक्यांश "पंजीकृत नेचुरलिस्ट को प्रदेश के अन्य संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के साथ (बिना वाहन चालन के) भ्रमण हेतु प्रवेश की अनुमति होगी" जोड़ा जाता है. संशोधन उपरांत उप नियम निम्नानुसार होगा :-

उप नियम-3(2)(ट) अनुज्ञापत्रधारी पर्यटकों के साथ पंजीकृत पर्यटक वाहनों में स्थान उपलब्ध होने पर उक्त नेचुरलिस्ट, अनुज्ञापत्र में नाम दर्ज न होने पर भी, पर्यटकों के वाहन में सहयोगी के रूप में जा सकेंगे. ऐसे वाहनों में पार्क गाईड भी पूर्ववत् की भांति उपस्थित रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे. "पंजीकृत नेचुरलिस्ट को प्रदेश के अन्य संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के साथ (बिना वाहन चालन के) भ्रमण हेतु प्रवेश की अनुमति होगी"

3. उप नियम-3 : पर्यटन प्रयोजनों हेतु क्षेत्रों का वर्गीकरण एवं प्रवेश फीस के अंतर्गत नियम-3(2)(ख) की तालिका को निम्न तालिका से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

3(2) (ख) निजी अपंजीकृत वाहन से पर्यटन हेतु प्रवेश शुल्क दर, जहां प्रबंधन द्वारा ऐसे वाहन अनुज्ञात हैं.

अ.क्र. (1)	वाहनों की श्रेणी के आधार पर अनुज्ञा पत्र का प्रकार (2)	दरें (रकम रुपये में) (3)
1.	दोपहिया वाहन, (स्कूटर, मोटर साइकिल एवं अन्य दो पहिया मोटर वाहन अधिकतम 2 व्यक्ति)	रुपये 500
2.	ऑटो रिक्शा (अधिकतम 3 व्यक्ति)	रुपये 1000
3.	हल्के मोटर वाहन (अधिकतम 6 व्यक्ति)	रुपये 1500
4.	बस/मिनी बस	रुपये 3000

4. उप नियम-3 : पर्यटन प्रयोजनों हेतु क्षेत्रों का वर्गीकरण एवं प्रवेश फीस के अंतर्गत नियम-3(3)(क) तालिका को निम्नानुसार तालिका से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

(3)(3) वाहन द्वारा पार्क भ्रमण के भिन्न अन्य गतिविधियों हेतु प्रवेश फीस (राशि रु. में)

(क) फीस तालिका

क्र. (1)	प्रवेश का प्रयोजन (2)	प्रति पर्यटक दर (3)
1.	पैदल/ट्रेकिंग/साइकिलिंग (संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किए गए विनिर्दिष्ट मार्गों पर)	रुपये 150
2.	विनिर्दिष्ट हाइड (hide)/मचान/बॉच टॉवर से वन्य प्राणी दर्शन संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किये गये स्थल में	स्थानीय प्रबंधन द्वारा निर्धारित किया जाएगा.
3.	कैम्पिंग (केवल संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा चिन्हित किए गए परिसरों में)	रुपये 750

5. उप नियम-5 : उपनियम 5 के अंतर्गत उप नियम 5(ड.) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

उप नियम-5 (ड.) : एडऑन सुविधा किसी सफारी दिवस हेतु बुकिंग प्रारंभ होने के 7 दिवस उपरांत जारी किये गये अनुज्ञा पत्रों पर ही उपलब्ध होगी. एडऑन सुविधा का लाभ अनुज्ञा पत्र पर सफारी दिनांक के 30 दिवस से पूर्व लिया जा सकेगा.

6. उप नियम-7 : पर्यटन हेतु संरक्षित क्षेत्रों में वाहनों के प्रवेश के नियमन के अंतर्गत नियम-7(7) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है.

उप नियम-7 (7) : संरक्षित क्षेत्रों के भीतर पर्यटन गतिविधियों हेतु वाहन का पंजीयन कराने के इच्छुक वाहन मालिक सर्वप्रथम अपने वाहन का प्रदूषण परीक्षण (PUC) तथा फिटनेस रिपोर्ट आरटीओ से प्राप्त करेंगे. संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि अथवा उनके द्वारा गठित समिति द्वारा, पर्यटन वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व ऐसे समस्त वाहनों एवं उनके दस्तावेजों का परीक्षण करेगी. वे वाहन जो न्यूनतम अर्हताकारी मानक के अनुरूप होंगे एवं संरक्षित क्षेत्र के भीतर संचालित करने हेतु उपयुक्त होंगे उन्हें संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी द्वारा पर्यटक वाहन के रूप में पंजीकृत किया जाएगा.

7. उप नियम-8 : फिल्मों/वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी हेतु दरें के अंतर्गत उप नियम-8(5) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

उप नियम-8 (5) कैमरामेन से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से फिल्मांकन/फोटोचित्रण/फोटोग्राफी की अनुज्ञा जारी की गई है. उसे सहायता करने के लिए एक बार में अधिकतम 3 व्यक्ति अनुज्ञात किये जा सकेंगे. कैमरामेन एवं सहयोगियों को फोटोग्राफी/फिल्मांकन की अनुज्ञा होगी. 4 व्यक्तियों की इस टीम से पृथक् से कोई प्रवेश शुल्क भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी.

8. उप नियम-11 : स्थानीय गाईड/पर्यटक सहायक के अंतर्गत नियम-11(3) की तालिका को निम्न तालिका से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

(3) गाईड/पर्यटन सहायक की सेवाएं लेने हेतु निम्नांकित शुल्क देय होगा :

क्रमांक	श्रेणी	गाईड /पर्यटक सहायक शुल्क (रु.)		
		वाहन से भ्रमण (एक राउंड)	ट्रेकिंग/साइकिलिंग (प्रतिदिन)	कैम्पिंग (दो दिन व एक रात्रि)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जी-1	रु. 600	रु. 1200	रु. 2400
2.	जी-2	रु. 480	रु. 960	रु. 1920
3.	पर्यटक सहायक	-	रु. 600	रु. 1200

*पंचमढ़ी के समस्त पर्यटन क्षेत्रों के भ्रमण हेतु प्रशिक्षित पंजीकृत गाईडों का गाइड शुल्क रुपये 600 प्रतिदिन होगा.

9. उप नियम-12 पर्यटन अवधि, क्षेत्र का विनियमन के अंतर्गत उप नियम-12(2) में वाक्यांश "टाइगर रिजर्व्स के बफर क्षेत्र पर्यटन हेतु वर्ष भर खुले रहेंगे." जोड़ा जाता है. संशोधित उप नियम निम्नानुसार होगा :-

उप नियम-12 (2) उपरोक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों में 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक की अवधि में पर्यटन या फोटोचित्रण के प्रयोजन से प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. वर्ष की शेष अवधि में ये क्षेत्र पर्यटन एवं फोटोचित्रण के प्रयोजन से खुले रहेंगे. 01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक तात्कालिक मौसम परिस्थितियों एवं अन्य स्थानीय कारकों के आधार पर संरक्षित क्षेत्र के भारसाधक अधिकारी संपूर्ण/सीमित पर्यटन क्षेत्रों एवं उनके अंतर्गत वन मार्गों को पर्यटन हेतु खोलेंगे. टाइगर रिजर्व्स के बफर क्षेत्र पर्यटन हेतु वर्ष भर खुले रहेंगे.

उक्त संशोधन 1 अक्टूबर 2019 से प्रवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2021

क्र. एफ-14-82-1988-दस-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के नियम क्र. एफ-14-82-1988-दस-2, दिनांक 18 अगस्त 2021 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Bhopal, the 18th August 2021

F 14-82-1988-X-2 .- In exercise of the powers conferred by sub section (1) and clause (h) of sub-section (2) of Section 64, read with Section 28 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Wildlife (Protection) Rules, 1974, namely :-

AMENDMENTS

Following Sub Rules of rule-34 of Madhya Pradesh Wildlife (Protection) Rule, 1974 (As amended and published in M.P. State Gazetteer Extra-ordinary 29th May 2018) shall be amended as follows:-

1. The Sub rule-2 (1)(d) under the Sub Rule-2: Exemptions in permit fee for special circumstances is inserted with the phrase (Other than Van Vihar). After the insertion Sub rule-2(1)(d) will be as follows :-

Sub Rule-2(1)(d) Authorized study tours of the students from recognized educational institutions of the villages situated in the buffer zones of the tiger reserves and within 5 km boundary of National Parks (Other than van vihar) and sanctuaries or the authorized study tours of the members of Eco-Development Committees;

2. In the Sub Rule-3, classification of areas and entry fee for the purpose of tourism, the phrase" Registered Naturalist shall be permitted to (non driving) accompany the tourist in any of the protected areas of the state." is added in Sub Rule-3(2)(k). After insertion the 3(2)(k) shall be as follows :-

Sub Rule-3(2)(k): Subject to seat availability in registered tourist vehicle, these registered naturalist may enter in tourist vehicle along with the tourists holding valid permit, even if their name is not mentioned on the permit, as an affiliate. In such vehicles the park guides will also be present and render their services as before. Registered Naturalist shall be permitted to (non driving) accompany the tourist in any of the protected areas of the state.

3. Table-3(2)(b) under Sub Rule-3 : Classification of areas and entry fee for the purpose of tourism is replaced by following Table ;

3(2)(b) Entry fees for tourism by private unregistered vehicles, where such vehicles are allowed by the management.

Sr. No. (1)	Type of permit (2)	Rates (Amount in Rs.) (3)
1	Two wheeler (Scooter, Motor Cycle and other two wheeler motor vehicle. maximum 2 persons)	Rs. 500

(1)	(2)	(3)
2	Auto Rickshaw (maximum 3 persons)	Rs.1000
3	Light motor vehicle (maximum 6 persons)	Rs.1500
4	Bus/Mini bus	Rs. 3000

4. Table under the Sub Rule-3(3) : Classification of areas and entry fee for the purpose of tourism is replaced by following table :-

3(3) Entry fee for activities other than park safari by vehicle (Amount in rupees) :

(a) Fee Table

Sr. No. (1)	Purpose of entry (2)	Fee per tourist (3)
1.	Walk/Trekking/ Cycling (on specified routes earmarked by the officer in-charge of the protected area)	Rs. 150
2.	Wildlife Viewing from specified Hide/ Machan/ Watch Tower	To be fixed by local PA management
3.	Camping (Only in the premises earmarked by the officer in-charge of the protected area)	Rs. 750

5. Sub Rule-5 : Sub-rule 5(e) in the Sub-rule (5) is amended as follows : -

Sub Rule-5(e) : Add on facility can be availed only on permits issued after seven days from the start of booking for a particular Safari day. Add on facility can be availed on the permits 30 days before the Safari date.

6. In Sub-Rule-7: Regulation of vehicles entry inside the protected area for tourism-The Sub Rule -7(7) is amended as follows:-

Sub Rule-7(7): The vehicle owners, willing to register their vehicle for tourism activity inside the Protected Area, firstly get the pollution check (PUC) and fitness report of the vehicle from the RTO. The officer-in-charge of the protected area or his representative or committee constituted by him, every year before the beginning of the tourism season, shall check all such vehicles and their documents. Those vehicles that qualify the minimum eligibility standards and found suitable for operating inside the protected area shall be registered by the officer in-charge of the protected area as tourist vehicle.

7. Sub: Rule-8(5) under Sub Rule-8: Rates for filming/Videography/Photography is replaced by following:-

Sub Rule-8(5) Cameraman. means a person in whose name the filming/videography/ photography permission has been issued. At a time 3 persons may be permitted to assist him. The Cameraman and the assistants will have permission for photography/filming. Such team of 4 persons will not be required to pay any entry fee separately.

8. Table under the Sub Rule-11: Table regarding Guide and tourist assistant under rule 11(3) is substituted by following table:-

(3) Fees for hiring guides/tourist assistant shall be as follows: -

Sr. No.	Category	Guide/ Tourist assistant Fee (Rupees)		
		Excursions in Vehicles (one round)	Trekking/Cycling (per day)	Camping (two day and one night)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	G-1	Rs. 600	Rs. 1200	Rs. 2400
2.	G-2	Rs. 480	Rs. 960	Rs. 1920
3.	Tourist assistant	-	Rs. 600	Rs. 1200

* For Pachmarhi guide fee will be Rs 600 per day for the visit of all tourist points for trained registered guides.

9. In sub rule-12: Regulation of Tourism period, area, Phrase "The BufferAreas of the Tiger Reserve will remain open for tourism throughout the year" is inserted in Sub Rule-12(2). After insertion the Sub-Rule 12(2) will be as follows:-

Sub Rule -12(2): Except above, for all the other places inside National Parks and Sanctuaries, period between 1st July and 30th Sept. shall be the prohibited period for tourism or photography and the rest period of the tourism year shall be the open period for tourism and photography. The officer in-charge of protected area, depending upon the prevailing weather conditions and other locality factors, shall open limited areas/ forest roads for tourism between 1st to 15th October. The Buffer Areas of the Tiger Reserve will remain open for tourism throughout the Year.

This amendment will be enforced from 1st October 2019.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA, Officer on Special Duty.

विधि और विधायी कार्य विभाग
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 7th August 2021

CORRIGENDUM

No. B-4587.- Notification No. D-2123, dated 3rd July 2021 of the High Court of Madhya Pradesh which was published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 23rd July 2021 [Part-4 (ग) at page No. 333-338] regarding amendments in the "Madhya Pradesh Gram Nyayalayas Rules, 2013" are, hereby, rescinded.

CORRIGENDUM

Notification No.D/2121 dated 3rd July 2021 of the High Court of Madhya Pradesh which was published in the Madhya Pradesh Gazette dated 23rd July 2021 [Part-4 (ग) at page No. 317-332] regarding "Subordinate Courts of Madhya Pradesh (Right to Information) Rules, 2020" are, hereby, rescinded.

RAJENDRA KUMAR VANI, Registrar General.